वर्ष-6 अंक-5

मई 2016 मूल्य 15

लोक जागृति

पत्रिका

कानूनी मुद्दों पर मुखर बातचीत एवं सामाजिक जन जागरण का मासिक प्रकाशन

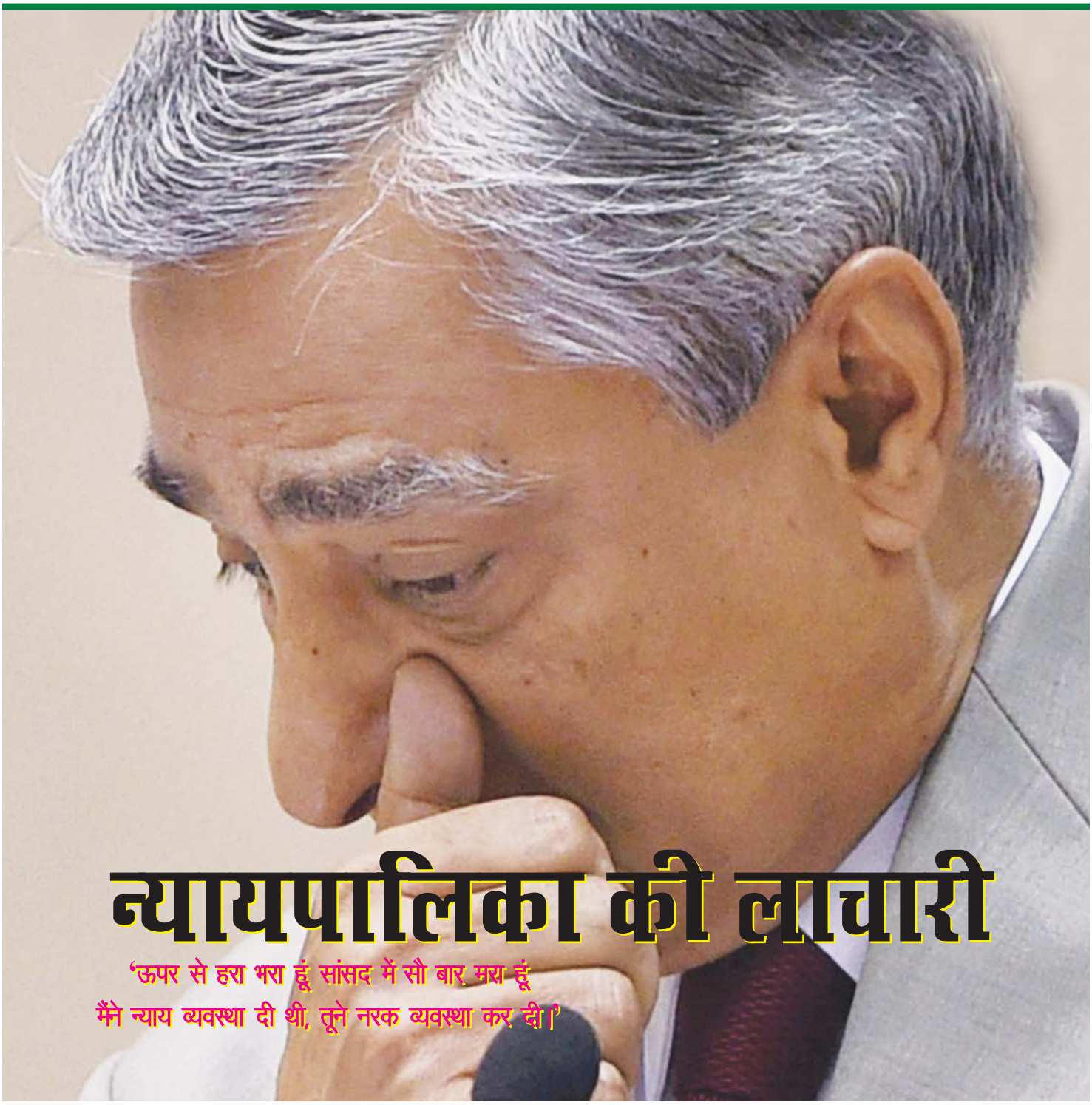

न्यायपालिका की लाचारी

'ऊपर से हरा भरा हूं सांसद में सौ बार मरा हूं
मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तूने नरक व्यवस्था कर दी।'

LEGEAZY
INTERNATIONAL
9810960818
info@legeazy.com

REEDOM OF LIFE

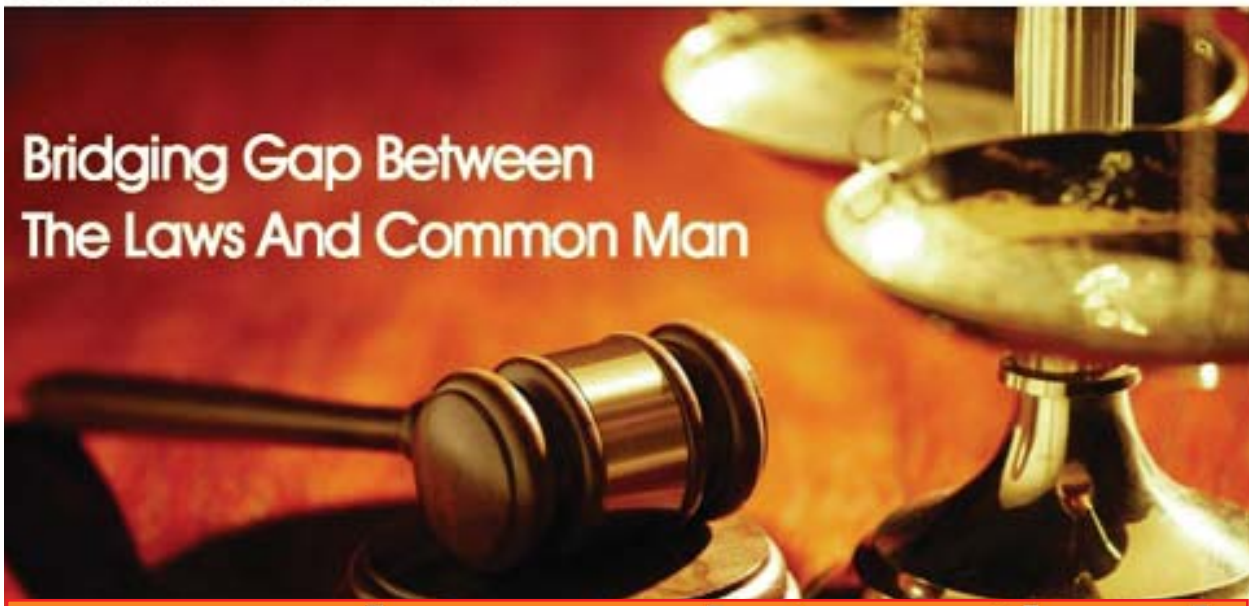

Legeazy International

Off. Add.: - 3A /95 ,Vaishali Ghaziabad, U.P. 201010
Mob. No.:- 9560522777, 9810960818
Email : info@legeazy.com | Website : www.legeazy.com

लोक जागृति (NGO)

लोक जागृति की स्थापना श्री स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है। यह संस्था 80G में रजिस्टर्ड है। जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है

- वृद्ध आश्रम की स्थापना करना ।
- लोगों को जागृत करने के लिए 'लोक जागृति पत्रिका' का प्रकाशन ।
- लोगों में कानूनी जागरुकता फैलाना ।
- गरीब, विधवा, अनाथ बच्चों एवं असहाय लोगों की सहायता करना ।
- अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरुक करना ।
- लोगों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी प्राप्त कराना ।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन देना ।
- धार्मिक जागरुकता फैलाना ।
- भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा को लागू कराना।

Lok Jagriti

लोका: समस्ता: सुखिनां भवन्तु

यदि आप संस्था से जुड़ना चाहते है तो सम्पर्क करें
95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.
मोबाइल : 9810960818, 0120–4249595 ई मेल : lokjagriti@gmail.com, www.lokjagriti.com

जो लोग समय को नष्ट करते हैं, समय उनको नष्ट कर देता है।

लोक जागृति की 20 सूत्रीय मांग

1. बेरोजगार को रोजगार प्रदान कराना।
2. सभी को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना।
3. आरक्षण का आधार आर्थिक हो।
4. पुलिस व्यवस्था में सुधार हो।
5. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं योग्यता का प्रत्येक दस वर्ष में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए।
6. एक निश्चित समय में न्याय निर्णय की व्यवस्था करना।
7. भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में कार्य करने की स्वतंत्रता हो।
8. शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो।
9. सांसद व विधानसभा में पार्टी व्यवस्था समाप्त कर लोकहित में काम करना।
10. सामाजिक सोशल आडिट की व्यवस्था करना।
11. लाभ के पद पर बैठे लोगों की सब्सिडी बंद करना।
12. बड़े नोट 500, 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद होना।
13. हर वस्तुओं एव सेवाओं की लागत अंकेक्षण कराना और वस्तुओ के पैकेट पर लागत मूल्य लिखना।
14. भारतीय दण्ड संहिता में सुधार झूठे केस दर्ज कराने एवं करने पर कार्यवाही करना या कुछ दण्डात्मक कार्यवाही ।
15. समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना।
16. देश के प्राकृतिक संसाधनो पर सरकार का अधिकार होना चाहिए।
17. सीलिंग लिमिट जैसे कृषि भूमि पर उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी होनी चाहिए।
18. कराधान एवं लाइसेंसी प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना। लाल फीता शाही खत्म करना।
19. गरीबों की सही पहचान और उन्हे निःशुल्क कोई चीज न दे कर उन्हें रोजगार परक बनाना एव स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम बनाना।
20. टोल टैक्स समाप्त करना।

पाठक के नाम

लोक जागृति (NGO) की स्थापना स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है। स्वामी नारायण जी ने लोक जागृति के लिए सन्यास लिया था। स्वामी नारायण धर्म की स्थापना की और उस के प्रचार प्रसार के लिए अक्षर धाम मन्दिर की स्थापना पूरे, विश्व में कई जगह पर हुई है। दिल्ली के अक्षरधाम मन्दिर का नाम गिनीजबुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज है। स्वामी नारायण का जन्म जिला गोण्डा के छपिया में हुआ था, श्री स्वामी नारायण जी से प्रेरणा लेकर, लोक जागृति (NGO) की स्थापना की गयी और उसी क्रम मे लोक जागृति पत्रिका का सम्पादन किया जा रहा है। यह पत्रिका लोगों को कानूनी एव अन्य उपयोगी जानकारी के साथ–साथ स्वामी नारायण के लोक जागृति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश के हिन्दी भाषी क्षेत्र में प्रधान एव उपप्रधान को निःशुल्क पत्रिका देती है, और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को जानने समझने का प्रयास किया जाता है। लोक जागृति द्वारा वृद्धाश्रम, निःशुल्क कानूनी सहायता व सामाजिक अकेक्षण का कार्य किया जाता है जिसके माध्यम से सरकारी विभागों मे कैम्प लगा कर आम जनता से जानकारी ली जाती है कि लोग उनके काम से कितना सन्तुष्ट है। लोक जागृति पत्रिका सामाजिक कार्य से करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करती है साथ में सम्मानित भी करती है। हमारा मुख्य उद्देश्य जागृत करना है। लोगों की आवाज को देश की राजधानी तक पहुंचाना है। जिससे सरकार लोकहित में सही कार्य कर सके और नीतियां बना सके। लोक जागृति 80G, 12A मे रजिस्टर्ड है। इसकी लोकप्रियता किसानो, गरीब ,पढ़े, लिखे ईमानदार लोगों, छात्रो मे है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे कानूनी जानकारी से सम्बन्धित लेख से लोगो को पुलिस अत्याचार, अवैध वसूली भष्टाचार से लड़ने मे महत्वपूर्ण सहयोग मिला है साथ मे स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी से लोगो को स्वास्थ्य से सम्बन्धित अच्छी–अच्छी जानकारी मिल रही है। संस्था का प्रबंधन सेवारत एवं सेवानिवृत्त उच्च पदस्थ अधिकारी, एडवोकेट, न्यायाधीश आदि हस्तियों द्वारा किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि इस एन.जी.ओ. और मासिक पत्रिका को आप सभी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें जिसका उपयोग जनता के हित में किया जाना है।

लोक जागृति पत्रिका का सदस्य बनें

सम्पर्क करें : 9560522777

www.lokjagriti.com

आवश्यकता है

निर्भीक संवाददाताओं और विज्ञापनदाताओं की। आप पत्रकार हैं, मगर आपकी खोजी रिपोर्ट दबाई जा रही है तो हमें भेजें।

लोक जागृति पत्रिका

95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उप्र

9810960818

lokjagriti@gmail.com, www.lokjagriti.com

Suresh pandey **Mob-9810514888**

INDIAN/FOREIGN BOOKS, JOURNALS
NEW/OLD (LAW BOOKS), BACK VOLUMES
& SUBSCRIPTIONS SUPPLIER

SK

SK ACADEMIC PUBLISHING PVT.LTD

E-252/4, West Vinod Nagar, Delhi-110092
Email: - suresh66pandey@gmail.com
pandeysureshk@gmail.com

भीतर के पृष्ठों में

न्यायपालिका के साथ न्याय	पेज–6
रियल स्टेट बिल	पेज–8
चुनावों के दुष्चक्र में फंस गया देश	पेज–10
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा	पेज–11
कूड़े के ढेर पर वैशाली	पेज–12,13
पूर्वांचल राज्य की माँग क्यों ?	पेज–14
भारतीय भाषा अभियान	पेज–15
''डोम हाथ हरिश्चन्द्र बिकानो''	पेज–17
ग्रीन बेल्ट में आस्था	पेज–18
स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर	पेज–19
साख पर बेवजह सवाल...	पेज–20
रेकी–स्पर्श द्वारा नवजीवन	पेज–21,22
सकारात्मक सोच सकारात्मक संवाद	पेज–23
दिल्ली की अदालतें	पेज–24
कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का विभाजन (विशेष)	पेज–26

स्कूलों के पैंतरों से परेशान पैरेंट्स

स्कूलों का नया सत्र शुरु हो गया है और इसी के साथ स्कूलों का नया–नया पैतरा भी लोगों को परेशान कर रहा है। पहले तो स्कूल बच्चों को वह विषय नहीं देते जिसे उसे पढ़ना होता है, और वह अपनी इच्छा के अनुसार विषय लेने के लिये दूसरे स्कूल में प्रवेश लेता है, और नये स्कूल के प्रवेश में डोनेशन से लेकर और तमाम आर्थिक बोझ पैरेंटस पर लाद दिये जाते है और इस रणनीति के तहत लाखों के बारे न्यारे किये जाते हैं।

मंत्रालय द्वारा यह निर्देश दिये गये थे स्कूलों में NCERT की पुस्तकें पढायी जाये और स्टेशनरी की बिक्री स्कूलों द्वारा न की जाये लेकिन इसके बावजूद स्कूल स्टेशनरी भी बेच रहे है और NCERT की बुक के हानि को पूरा करने के लिये बच्चों का ड्रस चेन्ज कर दिया उस हानि को इससे पूरा कर लिया। शिक्षा चिकित्सालय, अस्पताल, यह सार्वजनिक हित के काम माने जाते है इसी को ध्यान में रखकर इसे आयकर में छूट दी गयी थी, इन्हें जमीन सस्ते दरों पर दी जाती हैं। फायदा तो लोग लेते है लेकिन उद्वेश्यों के विपरीत काम करते हैं। शिक्षा चिकित्सा के जो बडे माफिया हैं वे एसा मकड जाल बना रखे है उसे तोड पाना बडा कठिन काम हो गया है। जनता सिर्फ गुस्सा करके बच्चों को पढाने के नाम पर, ठगने एवं परेशान होने को मजबूर है। वह शिकायत करे तो कहॉ कोई पूछने वाला ही नही हैं।

लोक जागृति पत्रिका

मई 2016 वर्ष 6 अंक 5

संरक्षक

कपिल सिंघल
डा. ए.जी. अग्रवाल
डा. बी.डी. पांडेय

संपादक

संतोष कुमार मिश्रा (एडवोकेट)

वित्त सलाहकार एवं सह सम्पादक

नीरज बंसल

समाचार संपादक

अश्विनी मिश्रा

संपादकीय सहयोगी

सुरेश पाण्डेय
विजय बहादुर सिंह
तेज सिंह यादव (एडवोकेट)
नरेन्द्र कुमार सक्सेना
गिरीश त्रिपाठी
एस.बी.एस. गौतम
सत्येंद्र श्रीवास्तव
ज्ञान चंद्र मिश्रा
राहुल मिश्र
जगजीत सिंह
कृष्ण कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)
राजेश कुमार मिश्र
कमल कांत त्रिपाठी (एडवोकेट)
तरुण गुप्ता (एडवोकेट)
अनिल कुमार शुक्ला
रजनीश कुमार पाण्डेय
महेन्द्र पाण्डेय (एडवोकेट)
प्रमोद उपाध्याय (एडवोकेट)

कानूनी सलाहकार

अभिषेक शर्मा (ए.ओ.आर.)

साज सज्जा
A.N.R. Creation
9868632759

मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक
संतोष कुमार मिश्र
द्वारा आदर्श प्रिंटिंग हाउस बी 32 महिंद्रा इंक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद से मुद्रित एवं 3ए 341 वैशाली, गाजियाबाद से प्रकाशित ।

इस पत्रिका में छपे किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है । किसी भी विवाद के निराकरण के लिए गाजियाबाद न्यायालय पूर्ण क्षेत्राधिकार व निर्णय मान्य होगा ।

RNI NO.
UPHIN/2011/39809

सम्पादकीय

ऊपर से हरा भरा हूं सांसद में सौ बार मरा हूं मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तूने नरक व्यवस्था कर दी।

यह पंक्ति हरिओम पंवार जी की है। आखिर में क्या कारण रहा है कि जिसके कारण देश के मुख्य न्यायाधीश को भी विलाप करना पड़ रहा है। मेरी जहां तक समझ है यदि कोई व्यक्ति किसी काम में असमर्थ है और काम नहीं कर पाता तो समर्थ बनने के लिए दोबारा प्रयास करता है विलाप नहीं करता है लेकिन यदि वह सामर्थ्य होने के बाद और बिना किसी कमी के कारण सफल नहीं हो पाता है तभी व्यक्ति विलाप करता है। यदि किसी पक्षी के पंख काट दिया जाए और उसे उड़ने के लिए कहा जाए तो ऐसी दशा में पक्षी के पास विलाप करने के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। न्यायपालिका का काम है देश की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का पालन कराना और कानून बनाने वाले विजय माल्या जैसे और भी कितने माननीय जैसे लोग हैं और उन्हीं के बनाए कानून का पालन कराना है किसी भी सामान्य नागरिक को वेदना होगी। माननीय मुख्य न्यायाधीश की वेदना वाजिब है जरा आप सोचो जब मुख्य न्यायाधीश की ऐसी स्थिति है तो देश की जनता की क्या स्थिति होगी सोचने भर से रुह कांप जाती है। कानून का राज कहां है इसका किसी को कुछ भी पता ही नहीं है और सिर्फ दिल्ली ही पूरा देश नहीं है।

हमने वैशाली गाजियाबाद के सेक्टर 3 एवं 4 के कुछ चित्र इस पत्रिका में डाले हैं जो वैशाली की सफाई व्यवस्था की कहानी स्वयं बयान कर देते हैं और इस बदबू एवं सीवर की गंदगी से संबंधित एक प्रार्थना पत्र हरित प्राधिकरण में डाला भी लेकिन प्राधिकरण ने बदबू एवं सीवर की समस्या बहुत पुरानी समस्या मान कर प्रार्थना निरस्त कर दी। विकास प्राधिकरण एवं नगर पालिका का यह हाल है कि वह लूट खसोट का अड्डा बन गए हैं। जनसूचना अधिनियम के तहत सूचना देते नहीं अगर देते हैं तो गलत सूचना देते हैं।

अपर मिडिल क्लास भारतीय को सिर्फ पैसे से लगाव है वह देश व समाज के बारे में सोचता ही नहीं है। पहले लोग देश के बारे में सोचते थे अब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पहले कोई भ्रष्टाचार करता था तो उसे अपनी बदनामी का डर होता था लेकिन अब यह फैशन बनता जा रहा है और इसका कारण है ज्यादातर लोगों का भ्रष्टाचार में लिप्त होना एवं पर्याप्त सजा का न होना।

दिल्ली में सम–विषम भी एक मानव निर्मित रोग है, इससे क्या फायदा या नुकसान हो रहा है इसका न तो कोई वैज्ञानिक एवं कानूनी आधार है। इससे सिर्फ जनता के पैसों की लूट को रही है और दिल्ली को विज्ञापन प्रदेश बना दिया गया है काम कम करो विज्ञापन ज्यादा।

तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकतीं, सूरज, चंद्रमा, और धूप

न्यायपालिका के साथ न्याय कब होगा ?

सुरेश पांडेय

कवर स्टोरी

जयपुर में लोक अदालतों के सम्मेलन में बोलते हुए तब के भारत के चीफ जस्टिस वी एन खरे ने कहा था, अदालतों में बैकलॉग काफी लंबा होता जा रहा है। बुनियादी ढांचा बहुत कमजोर है। जजों की संख्या कम है। अमरीका में 10 लाख की आबादी पर 135 जज हैं, भारत में 10 लाख की आबादी पर 13 जज हैं। स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए मजबूत न्यायपालिका बहुत जरूरी है। 2008 में भारतीय अदालतों में 4 करोड़ 80 लाख मुकदमों की सुनवाई हुई। यह आंकड़ा दुनिया के किसी भी देश की अदालत से कई गुना ज्यादा है। यही कारण है कि मुकदमों की सुनवाई पूरी होने में कई साल लग जाते हैं। जस्टिस बालाकृष्णन ने कहा था कि जजों की इतनी कमी है कि एक जज को एक केस पर नजर डालने के लिए 25 मिनट से ज्यादा नहीं मिलते। 25 मिनट एक केस के लिए। जज साहब कंप्यूटर से भी तेज काम करते होंगे। मौका था एनुअल चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिसे कांफ्रेंस में भारत के मौजूदा प्रधान न्यायधीश वही बात दोहराते हैं जो उनके पूर्व के प्रधान न्यायधीश कह गए हैं। उन्होंने अंग्रेजी में जो कुछ कहा, उसका हिन्दी अनुवाद कुछ इस तरह है– भारत में जजों की संख्या 7675 से बढ़ाकर 40,357 करने की जरूरत है। दस लाख की आबादी पर जजों की संख्या 10 से बढ़कर 50 हो। 1987 में लॉ कमीशन ने देश में 40,000 हजार जजों का सुझाव दिया था। मगर कुछ नहीं हुआ। 2002 में प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में संसद की स्थायी समिति ने भी कहा था कि जजों की संख्या बहुत कम है। भारत में दस लाख की आबादी पर दस ही जज हैं। स्थायी समिति ने सुझाव दिया कि इसे 10 से 50 किया जाए। 10 लाख पर 50 जजों की नियुक्ति से देश में जजों की संख्या 40,000 हो जाती है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 21 फरवरी 2013 को चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा मगर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 'मुकदमों की भारी बाढ़' से निपटने के लिए जजों की संख्या को मौजूदा 21 हजार से 40 हजार किए जाने की दिशा में सरकार की 'निष्क्रियता' पर अफसोस जताते हुए कहा, 'आप सारा बोझ न्यायपालिका पर नहीं डाल सकते'। जो हाल अस्पताल का है वही अदालत का है। तो चीफ जस्टिस के इस भावुक आग्रह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र और न्यायपालिका के बीच नियुक्तियों को लेकर खींचतान का नतीजा है और क्या सरकारें न्यापालिका को स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहती. चीफ जस्टिस ने कहा, 'वो पूछते थे सवाल कि अगर एक सड़क 5 आदमी 10 दिन में बनाते हैं, वही सड़क अगर एक दिन में बनानी हो तो कितने आदमी चाहिए। और उत्तर होता था, 50 आदमी चाहिए। 3868000 केस को निपटाने के लिए कितने आदमी चाहिए। कितने जज चाहिए। ये बात हम क्यों नहीं समझते।' पांचवीं पास को समझाने के अंदाज में उन्होंने समझा तो दिया लेकिन किसी का ध्यान उस आदमी की तरफ नहीं गया जिसे जजों की कमी का शिकार होना होता है। देश भर में न्यायपालिका के मुद्दों को लेकर तरह–तरह के हाई प्रोफाइल सम्मेलन होते रहते हैं। जिसमें कभी मुख्यमंत्री तो कभी प्रधानमंत्री तो कभी चीफ जस्टिस जाते रहते हैं। हर सम्मेलन में ऐसी बात कही जा रही है मगर डेढ़ दशक से कही जा रही है फिर भी पर्याप्त सुधार नहीं हुए हैं। न इलाज टाइम पर न इंसाफ टाइम पर। इंसाफ में देरी इंसाफ न मिलने के बराबर होती है। न्यायपालिका की दुनिया का एक जुमला घिसते घिसते इतना घिस गया है कि इसका कोई मतलब नहीं रह गया . अब देश के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ज्यूडिशियरी का बचाव करते हुए खुलकर बोले हैं और उन्होंने सीधे सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। आज की और पिछली सभी सरकारों को कठघरे में खड़ा करते हुए जस्टिस ठाकुर ने कहा है कि 1987 में लॉ कमीशन ने जजों की संख्या बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन आजतक ऐसा नहीं हो पाया है।. जजों पर मुकदमों का इतना बोझ है कि फैसला आते आते 20–30 साल लग जाते हैं. 1950 में सुप्रीम कोर्ट की शुरूआत 8 जजों से हुई थी। तब मात्र 1215 केस थे। हमने एक जज पर 100 मुकदमों से अपनी शुरुआत की थी। एक दशक के भीतर जजों की संख्या 14 हुई और केस हो गए 3247। 1986 में सुप्रीम कोर्ट में 26 जज हो गए और केस की संख्या हो गई 27,881। इस वक्त हमारी क्षमता 31 है और मुकदमों की संख्या 77,151 2014 तक 31 जजों के ऊपर लंबित मुकदमों की संख्या 81,583 थी जिसे हमने कम करके 60,260 पर ला दिया है।

जज वाकई कितना काम करते हैं। जज को रोजाना 18 घंटे काम करना पड़ता है। सुबह दस से शाम चार बजे तक कोर्ट में रहते हैं। इसके बाद घर जाकर डेढ़ घंटे आराम करते हैं। फिर अगले दिन के मुकदमों की तैयारी में लग जाते हैं। हर मुकदमे की फाइल देखनी होती है। कोई फाइल 100 पेज की होती है तो कोई पचास पेज की। इसके बीच फैसला भी डिक्टेट करना होता है। साढ़े ग्यारह बजे तक सोने जाते हैं और पांच बजे उठ जाते हैं। जजों को टहलना अच्छा लगता है। टहलने के बाद सुबह सात से साढ़े आठ बजे तक फिर केस की तैयारी करते हैं। साढ़े नौ बजे के आस पास कोर्ट के लिए निकल जाते हैं।कई जज

खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है।

शनिवार और रविवार के दिन भी देर रात तक काम करते हैं। मुकदमों को दाखिल करना, दाखिल हुए मुकदमों को सुनना, फैसला लिखने के अलावा उनके अन्य प्रशासनिक काम भी होते हैं। उनकी पूरी क्षमता इस बात पर आंकी जाती है कि कितनी तेजी से वे केस को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और फैसला देते हैं। निचली अदालतों के जजों का प्रमोशन तो इन्हीं बातों पर टिका होता है कि कितने केस को निपटाया है। क्या कोई जज एक दिन में 50 फाइल पढ़ सकता है। सुबह सात बजे से रात के 11 बजे तक जज काम करते हैं, फिर छुट्टी के दिन भी। तो क्या यह ठीक है कि उनकी छुट्टी पर नजर डाली जाए। चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर ने कहा कि हम सिर्फ मनाली नहीं जाते हैं। जो संवैधानिक पीठ के जज होते हैं वो अपने फैसले लिख रहे होते हैं। अगर एक पक्ष तैयार है तो दूसरा पक्ष तैयार नहीं है। बार से पूछते हैं कि क्या वो तैयार हैं। तीन हफ्ते की छुट्टी होती है। इस दौरान भी कुछ जज मुकदमों को सुनते हैं। भारत में एक जज औसत 2600 मुकदमों को सुनता है, फैसला देता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब बाहर से जज आते हैं तो हमें देखकर हैरान होते हैं। न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ उपाय भी करने होगे न्यायाधीश को भी जवाबदेह बनना होगा न्यायाधीश के आदेश की ऑडिट होनी चाहिए। साथ में वकीलों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाना होगा अभी गरीबो को उचित न्याय नहीं मिल पता है। न्यायालय के पास संसाधनों की भरी कमी है, इसके साथ भाषा की भी एक समस्या है।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती की आत्मकथा है। जस्टिस भगवती ही वह जज हैं जिनकी अगुवाई में भारत में 'जनहित याचिका' जैसे नवीन प्रयोग को जगह मिल पाई थी। 60 के दशक में जस्टिस भगवती गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और फिर 70 के दशक में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और फिर 1985 में वह देश के मुख्य न्यायाधीश चुने गए। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान ही जस्टिस भगवती ने बाकी जजों के साथ मिलकर जनहित याचिका की धारणा पर काम किया। इस आत्मकथा में जस्टिस भगवती ने अपने बचपन से लेकर रिटायरमेंट के बाद तक के सफर की बात कही है। जस्टिस भगवती अपने उन फैसलों के बारे में बताया जो भारतीय समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुए। जैसे कि 1972 में जब वह गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस दौरान उनके पास एक केस आया था जिसमें सरकार द्वारा गुजराती किताब 'माओ त्से तुंग के वक्तव्य' पर प्रतिबंध लगाने को चुनौती दी गई थी। भगवती बताते हैं 'मैंने सरकार के इस प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया और ऐसा पाया कि यह सरकार नहीं लोग तय करेंगे कि उन्हें वामपंथ या माओ त्से तुंग के फलसफे में यकीन करना है या नहीं।'

इस मामले में जस्टिस भगवती ने जो फैसला सुनाया था. वह मौजूदा दौर में काफी प्रासंगिक है, उन्होंने कहा था 'मेरा ऐसा मानना है कि इन वक्तव्यों को 'देशद्रोही' कहते हुए खारिज कर देने का मतलब है, ज्ञान के दरवाजों को बंद कर देना। एक ऐसे फलसफे का सिर्फ इसलिए बहिष्कार कर देना क्योंकि वह समाज के पोषित नियमों को चुनौती देता है और जीवन जीने के एक नए तरीके को अपनाने की बात कहता है। वह तरीका जो उन मौजूदा तरीकों से अलग है जिसके लोग आदी हो चुके हैं।' मुख्य न्यायाधीश ने जोर दिया कि 'यह सरकार नहीं लोग तय करेंगे कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत और वह अपने विवेक और बुद्धिमानी से सही फैसला ले सकें इसके लिए जरूरी है कि सभी तरह के विचारों का खुला प्रचार हो सके।' जस्टिस भगवती का यह फैसला जनता को 'छोटा और नादान बच्चा' समझने की सरकार की सोच को खारिज करता है।और फिर जब जस्टिस भगवती ने सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार संभाला तब उन्होंने जनहित याचिका (PIL) के जरिए गरीबों तक उस न्याय को पहुंच. ाने का रास्ता खोला जो अभी तक अमीरों की बपौती बना हुआ था। भगवती लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बनने के तीन दशक बाद तक मूलभूत अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का हक सिर्फ रसूखदारों के पास था। भारत की ज्यादातर जनसंख्या ने कोर्ट के गौरव और महिमा के बारे में सुना तो बहुत था लेकिन उसके न्याय का स्वाद कभी चखा नहीं था। जागरुकता और दृढ़ता की कमी, ऊपर से संवैधानिक और कानूनी हक को पाने के तरीकों तक गरीबों की पहुंच ही नहीं थी, ऐसे में कमजोर वर्ग के लिए कोर्ट से उम्मीद रखना बेकार की बात थी। यह 'मुकदमे का खेल खेलना' सिर्फ पैसैवालों के बस की ही बात थी। यही नहीं जनहित याचिका को और आसान बनाने के लिए जस्टिस भगवती और उनकी टीम ने एक और नायाब कदम उठाया। अगर आप किसी गरीब को न्याय दिलाने में मदद करना चाहते हैं लेकिन पैसे और समय की कमी और कोर्ट की लंबी प्रक्रिया आपको ऐसा करने से रोक रही है तो सब कुछ साइड में रखकर कोर्ट के नाम सिर्फ 'एक चिट्ठी' लिखकर भी आप पीड़ित की शिकायत को न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं। कानून की नजर में इस एक चिट्ठी को ही पूरी प्रक्रिया मान लिया जाएगा और इसके आधार पर कोर्ट मामले की सुनवाई शुरू कर देगा।

रियल स्टेट बिल

सत्येंद्र श्रीवास्तव

राज्यसभा ने रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवेलपमेंट) बिल 2016 पारित कर दिया। इस बिल में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह बिल न सिर्फ खरीददारों के हितों की सुरक्षा करता है बल्कि डेवलपरों और बिल्डरों के लिए भी फायदेमेंद होगा।

■ बिल में महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि डेवलेपर जो पैसा उपभोक्ताओं से लेते हैं, उस राशि का 70 फीसदी हिस्सा उन्हें अलग से बैंक में रखना होगा। इसका इस्तेमाल वह केवल और केवल निर्माण कार्यों में ही कर सकता है। शेष बची राशि का इस्तेमाल वह अन्य कामों के लिए कर सकता है। पहले बिल्डर इस पैसे का इस्तेमाल अपने दूसरे कामों या प्रॉजेक्ट्स में कर लेता था जिसके चलते प्रॉजेक्ट विशेष में देरी हो जाती थी।

■ बिल्डर यदि ऐसे प्रॉजेक्ट्स को कस्टमर को बेचते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं तो उनके प्रॉजेक्ट पर पैनल्टी लगेगी।

■ यह बिल कर्मशल और रेजिडेंशल दोनों ही प्रकार के प्रोजेक्ट्स/प्रॉपर्टी पर लागू होगा और पैसे के लेन–देन पर पूरी नजर रखी जाएगी। ऐसे में यदि दुकान आदि के लिए स्पेस ले रहे हैं तो आपके हितों की रक्षा भी इस बिल के दायरे में होगी।

■ रियल एस्टेट एजेंट्स भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होंगे। ऐसे में एजेंट्स के हाथों धोखाधड़ी की संभावना कम से कम होगी। एजेंट्स केवल वे ही प्रॉजेक्ट्स बेच पाएंगे जोकि रजिस्टर्ड होंगे।

■ इस बिल के लागू होने के बाद एक फायदा यह होगा कि डेवलेपर की प्रॉजेक्ट संबंधित गतिविधियों में ट्रांसपैरेंसी रहेगी। पहले खरीददार केवल वही जान पाता था जो उसे बिल्डर द्वारा बताया जाता था। लेकिन अब अथॉरिटी की वेबसाइट के माध्यम से प्रॉजेक्ट से संबंधित वे सभी जरूरी और मामूली व महत्वूपर्ण जानकारी खरीददार पा सकेगा, जिनके जानकारी के लिए वह अब तक केवल प्रॉजेक्ट निर्माता पर निर्भर था।

■ प्रॉजेक्ट में तब तक कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक की खरीददार की अनुमति न हो।

■ नियमों का उल्लंघन करने पर पेनल्टी और जेल की सजा तक का प्रावधान है।

■ राज्य स्तर पर रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। खरीददार की शिकायतों का निपटारा राज्य स्तर पर गठित की जाने वाली अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा।

■ खास बात यह है कि वर्तमान के अंडर–कंस्ट्रक्शन और आने वाले सभी प्रोजेक्ट इस नये कानून के अंतर्गत आयेंगे

■ सभी पंजीकृत परियोजनाओं का पूर्ण विवरण प्राधिकरण को देना होगा। जिसमें प्रमोटर, परियोजना, ले आउट, योजना, भूमि की स्थिति, मंजूरियां, समझौते, रियल एस्टेट एजेंटों, ठेकेदारों, वास्तुकारों और इंजीनियरों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल हैं

■ बिल्डर प्रोजेक्ट के ब्रॉशर और विज्ञापन में जो वादे करता है, अगर उसे पूरा नहीं किया तो उसे 3 से 5 साल की जेल हो सकती है।

■ कंप्लीशन सर्टिफिकेट CC और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट OC देने की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी।

■ वर्तमान में बिल्डर बिल्ट–अप एरिया बताते हैं कार्पेट एरिया नहीं। अब डीड में कार्पेट एरिया लिखना अनिवार्य होगा।

■ नगर निकाय से अप्रूव लेआउट के मुताबिक बिल्डंग नहीं बनने पर प्रीलॉन्च में बुकिंग करने वाले उपभोक्ता प्राधिकरण में शिकायत कर सकेंगे।

■ रीयल इस्टेट आवासीय परियोजना का पंजीकरण न करना– रीयल इस्टेट परियोजना की प्रस्तावित लागत का दस प्रतिशत तक जुर्माना जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो।

सच्चा ज्ञान इसी में है कि आप समझे कि आप कुछ नहीं जानते।

गिरफ्तारी क्या है?

गिरफ्तारी शब्द संहिता या अन्य किसी कानून में परिभाषित नहीं है। परन्तु गिरफ्तारी से अभिप्राय है किसी व्यक्ति की आजादी पर विधि की शक्ति द्वारा रोक लगाना। गिरफ्तारी का समय व्यक्ति की आजादी पर विघ्न डालते ही शुरु हो जाता है न कि जब वह रिकार्ड पर दर्ज की जाती है।

पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

1. यदि वह संज्ञेय अपराध के लिये जिम्मेदार है या उस पर काफी हद तक युक्तिसंगत संदेह है या उसके खिलाफ शिकायत या ऐसी इत्तला या सूचना मिली है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है।
2. यदि उसके घर से सेंध मारने के औजार मिले हो।
3. यदि उसके पास चोरी का माल बरामद हुआ हो।
4. यदि वह उद्घोषित अपराधी हो।
5. यदि वह ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर के काम में रुकावट डालता है।
6. यदि वह कानूनी गिरफ्तारी को तोड कर भागता है।
7. भारत के बाहर रहते हुए ऐसा अपराध करता है जो प्रत्यापर्ण कानून या प्रस्तायी अपराधी अधिनियम के तहत सजा का हकदार हो।
8. यदि वह बरी किया हुआ ऐसा अपराधी है जिनसे न्यायालय की लगायी हुई बंदिशों को तोड़ा है।
9. यदि कोई अन्य पुलिस थानें के अफसर को उस पर किसी संज्ञेय

अपराध करने का शक है और उस अफसर ने उसे तलब किया है।

10. यदि वह आर्मी, नेवी या एयर फोर्स का अभित्यांजक हो।

संहिता की धारा 109 में कब व्यक्ति को गिरफतार किया जा सकता है?

1. अंजाने व्यक्ति जो संदेहजनक स्थिति में इधर– उधर घूमते हुए नजर आये।
2. जो व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने के लिये किसी जगह छिपा हो।
3. जिन लोगों पर संदेह हो तथा वह लोग जो अपने बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सकते हों।

संहिता की धारा 110 में किन व्यक्तियों को गिरफतार किया जा सकता है?

1. ऐसा व्यक्ति जो लुटेरा, चोर, डकैत या फोरजर हो
2. जो चोरी का माल लेता हों
3. चोर की मदद करता हो उसे छुपाता हो
4. शांति भंग करता हो
5. निम्न में से किसी एक अपराध में संलग्न हो–

क. कस्टम अधिनियम,1962

ख. विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम, 1973

ग. अस्पृथ्यता अपराध अधिनियम, 1955

घ. ड्रग्स एण्ड कास्मटिक अधिनियम 1940

ड. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

6. जो व्यक्ति अपहरण, लूट– पाट, धोखा–धड़ी या अन्य अपराध जो भारतीय दण्ड संहिता के पाठ 20 के अनुसार दण्डनीय हो या धारा 489– क'', 489 ख'', 489– ग'', 489–घ''के अनुसार दण्डनीय हो।
7. या कोई भी अन्य कानून जो काला बाजारी, मुनाफाखोरी से संबंधित रखता हो।

जहां चाह वहां राह

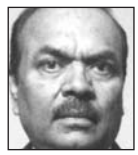

सतेंद्र मिश्रा

सत्य ही कहा है जहॉ चाह वहां राह, यदि किसी व्यक्ति में अभिव्यक्ति की लौ प्रज्जवलित हो, तो कई व्यवधान राह नहीं रोक सकता, वीर सावरकर के अण्डमान जेल के पास में न कलम थी, न कागज, विचार उठते, समस्या थी उन्हें कैसे लिपिबद्ध किया जाये ? एकान्त कोठरी में वे चिन्तामग्न थे। अचानक वे चौकें समाधान सूज गया।

उन्हीं के शब्दों में '' कागज पेन्सिल के अभाव में प्रश्न उठा की में टिप्पणीयॉ किस पर लिखूँ ? मैं इस पहलू पर विचार मग्न था कि मेरी दृष्टि सामने के दिवार पर पडी! यही तो जेल का कागज है, बंदीग्रह को यह सफेद, लम्बी– चौड़ी दिवारें ही तो कागज है और सन के कॉटे लेखनी।

एक कील चुपचाप से कुन्डी पर लटका दी थी, कोठरी का दरवाजा बन्द होते ही दीवार पर लिखना शुरु कर दिया जाता था।

जेल की एक– एक दीवार एक– एक ग्रन्थ बन गयी थी जिस कोठरी में मैं डोरी तैयार करता था, वहॉ की दीवार पर स्पेंसर की अज्ञेय मीमासां का युक्तिवाद क्रम से अंकित किया गया था, कमला ''महाकाव्य'' की रचना उन्ही सात दीवारों पर पूरी अंकित हुई थी, एक दीवार पर मील के अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएँ अंकित हुई थी अलग–अलग कमरों की दीवारों पर उन्हें अंकित करने का उद्देश्य यही था कि प्रत्येक महीने जब बन्दी अदला–बदली के अन्तर्गत कमरा बदलें, तो नई– नई जानकारीयॉ प्राप्त कर लें, इन दीवार ग्रन्थों की आयु मात्र एक वर्ष होती थीं, दीवारों की पुताई के पूर्व मैं अपनी तमाम अंकित सामग्री को कंठस्थ कर जाता था।

एक जीवन जो दूसरों के लिए नहीं जिया गया वह जीवन नहीं है।

चुनावों के दुष्चक्र में फंस गया देश

बृजमोहन

देश में बराबर होने वाले चुनावों के मुद्दे पर विचार करने वाली संसद की एक समिति हाल में एक ऐसे नतीजे पर पहुंची है जो चुनावों के दुष्चक्र को समाप्त करने का सबसे व्यावहारिक तरीका हो सकता है। इन चुनावों में सरकार का भारी–भरकम खर्च तो होता ही है, विधिवत निर्वाचित सरकार अस्थिर बनती है और सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव 1952, 1957, 1962 और 1967 में साथ–साथ हुए। सभी नवनिर्वाचित विधायिकाएं इन वर्षो में मार्च और अप्रैल के बीच गठित हुईं। पहले के तीन चुनावों में यह एक तरह से एकदलीय शासन था। कांग्रेस को लगभग सभी जगह वोटरों ने मत दिए। लेकिन 1967 में मतदाताओं ने कुछ राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और अस्थिर गठबंधनों के पक्ष में मतदान किया। 1961 के दशक के आखिरी वर्षो में इनमें से कुछ सरकारें समय से पहले गिर गईं और इस तरह लोकसभा और विधानसभाओं के साथ–साथ चुनावों की व्यवस्था कुछ हद तक अव्यवस्थित हो गई। लेकिन असली क्षति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहुंचाई, जिन्होंने चौथी लोकसभा के विघटन की सिफारिश की और समय से एक साल पहले 1971 में चुनाव हुए। तब से साथ–साथ चुनावों की व्यवस्था समाप्त हो गई है और समय बीतने के साथ देश चुनावों के दुष्चक्र में फंस गया है, जिसने शासन के कामकाज को भारी क्षति पहुंचाई है। हर साल अलग–अलग राज्यों में चुनाव होते रहते हैं जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता है। चुनावी अखाड़ों में काले धन का काफी उपयोग किया जाता है और हर राज्य में जनादेश के अर्थ पर गंभीर राजनीतिक बहस होती रहती है। उदाहरण के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन की किसी राज्य में हार होती है तो अन्य सभी पार्टियां उस नतीजे को सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के खिलाफ जनादेश के तौर पर देखती हैं। पिछले नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार इसका नवीनतम उदाहरण है। इसी तरह केंद्र में सत्तासीन पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव जीतती है तो यह घोषणा करने में देर नहीं की जाती कि यह विजय इस पार्टी और इसके नेता पर मतदाताओं के भरोसे को दिखाती है। अक्टूबर, 2014 में हरियाणा, महाराष्ट्र झारखंड में भाजपा की जीत के बाद ऐसे ही स्वर सुनाई दिए।1कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सच्चाई यह है कि दोनों ही विचार असत्य हैं। हमने बार–बार देखा है कि मतदाताओं ने राज्य के चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव से साफ तौर पर दूर रखा है। फिर भी, कोई भी पार्टी एक जनादेश का दूसरे से घालमेल करने का अवसर नहीं छोड़ती। यही बात उस समय भी सही साबित होती है जब राज्य में सत्तासीन पार्टी की लोकसभा चुनाव में पराजय होती है। जैसे, 2014 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को शिकस्त डोलनी पड़ी थी। लेकिन इन सबसे चुनाव के बाद छिड़ने वाले राजनीतिक संघर्ष के चलते उन पार्टियों का भरोसा डोल जाता है जिन्हें केंद्र और राज्यों में पांच साल शासन के लिए चुना गया होता है। दोनों ही स्तरों पर सत्ताधारी पार्टियों और गठबंधनों में अनावश्यक अस्थायित्व आ जाता है। राजनीतिक अस्थायित्व के अलावा चुनावों का यह चक्र शासन पर असर डालता है और कुछ दूसरी समस्याएं भी पैदा करता है।1कार्मिक, सार्वजनिक सेवाएं, विधि और न्याय विभाग से संबद्ध संसद की स्थायी समिति ने इन सभी बातों की जांच कर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने की व्यावहारिकता पर अपनी रिपोर्ट दी है, जिसे संसद में दिसंबर में रखा गया। शासन के कामकाज के मोर्चे पर संसदीय समिति ने कहा कि जब भी चुनावों की घोषणा होती है, चुनावी आदर्श संहिता संबद्ध राज्य में लागू हो जाती है और इससे केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों के विकास कार्य रुक जाते हैं। इसलिए अगर हर साल कई राज्यों में चुनाव होने हों तो आचार संहिता लागू रहने के दौरान एक चौथाई समय में शासन के कामकाज बाधित रहते हैं।1इसलिए समिति ने सही ही कहा है कि 'इससे नीतियां निर्बल हो जाती हैं और शासन का कामकाज कमजोर हो जाता है।' समिति का यह भी विचार है कि बार–बार होने वाले चुनाव आम जनजीवन और आवश्यक सेवाओं के कामकाज को बाधित करते हैं। उसने कहा है कि अगर साथ–साथ चुनाव हों तो बाधा की यह अवधि पहले से निर्धारित समय तक सीमित होगी।' तीसरा मुद्दा चुनावी खर्च से संबद्ध है। अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ–साथ हों तो ये हर साल अलग–अलग चुनाव कराने में होने वाले भारी–भरकम खर्च को काफी कम कर देंगे। समिति का कहना है कि जब चुनाव एक साथ नहीं होते हैं तो चुनावी कामकाज पर लंबी अवधि तक काफी सारे लोगों को तैनात करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जब लोकसभा चुनाव चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ कराए गए तो मतदान नौ चरणों में हुए, केंद्रीय और राज्य सेवाओं से चुनावी कामकाज के लिए गए भारी–भरकम संख्या में अधिकारियों के अलावा केंद्रीय बलों की इधर से उधर जाने वाली 1349 कंपनियों की तैनाती की गई।

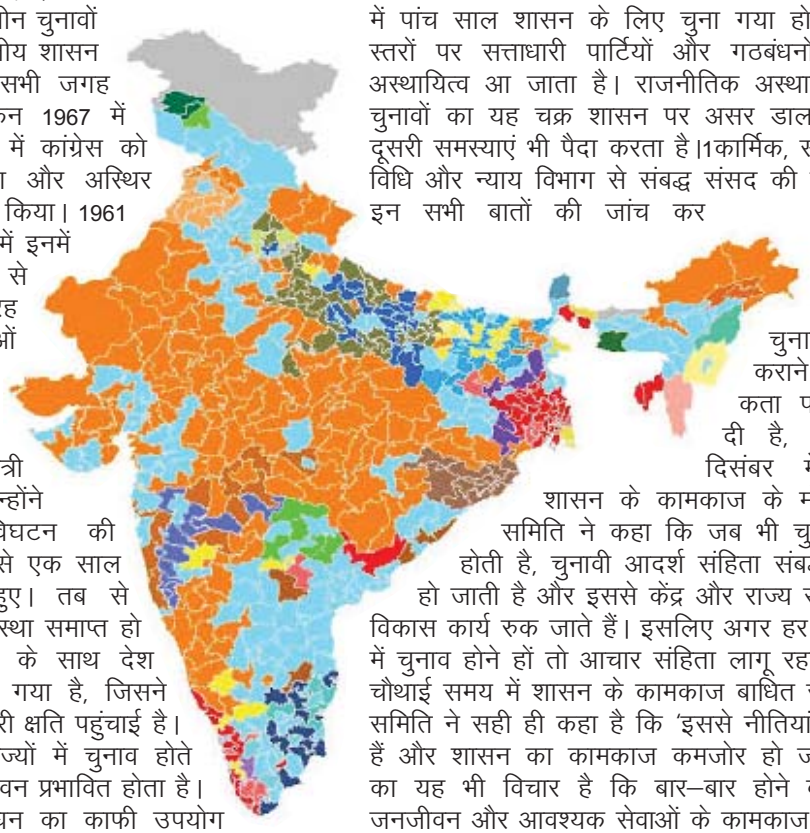

(शेष अगले अंक में)

अगर हम हल का हिस्सा नहीं तो हम समस्या हैं।

सारे जहॉ से अच्छा हिन्दुस्तॉ हमारा को बन्दे मातरम्

सूर्य नारायण प्रताप शाही

भारत में दोनों गीत राष्ट्रगीत की मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। इसमें किसी के आन्दोलन या विरोध की किसी तरह की गुंजाईस नहीं हैं। किसी कट्टरवादी समुदाय की आम सहमति की आवश्यकता नहीं हैं। इसे सुन कर नफरत की ऑधी में भले ही उडतें रहें किन्तु कोई सच्चा राष्ट्रभक्त इन दोनों के शब्द सुनते ही राष्ट्रभक्ति के भाव से ओत–प्रोत हो जाता हैं। इसमें धर्म, मजहब अथवा रेलीजन सब एक हो जाते हैं। यदि 'जन गण मन' से पंचम जार्ज की स्तुति जोड़ कर देखने का आरोप हम में से कुछ लोग लगा देते हैं तो भी जनसाधारण इसे पावन भाव से राष्ट्रगान मानते ही हैं। अतः ''आनन्दमठ'' से उद्धरित गीत मान कर इसका किसी खास मजहब के मठाधीश द्वारा विरोध स्पष्ट रुप से राष्ट्र द्रोहियों की मंशा और पहचान हो रही है जो अब–तक छिपे हुए थे। यदि पाकिस्तान में अन्तिम सांस लेने वाले इकबाल'' सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तॉ हमारा'' की रचना कर अमर राष्ट्रभक्त हो सकते हैं तो बन्दे मातरम् तो उन्हीं भावनाओं की पुर्नअभिव्यक्ति नहीं तो क्या है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी और और मादरे वतन की बंदना विश्व के सभी राष्ट्रों में किसी न किसी भाषा में होती ही है। मां–पिता कहें अथवा बाबा–मम्मी, डैडी–मम्मी कहें अथवा फादर–मदर एक ही हैं। अवैध यौन संबंध किसी देश में कोई खास महत्व नहीं रखता हो जैसे अमेरिका, इंग्लैंड में किन्तु भारतीय संस्कृति ऐसी बातों को सामाजिक मान्यता नहीं दे सकता है। ठीक यही मान्यता राष्ट्रगीतों में भी है। किसी जुबान में राष्ट्रगान तो गुनगुनाना ही होगा भले ही हममें गाने की क्षमता न हो। हम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तब ही दे पाएंगे जब 'वंदेमातरम' का स्मरण करें या उच्चारण करें। नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा का आधार यही 'वंदे मातरम' से प्रारम्भ होता है। फिल्म 'फायर' के प्रदर्शन में नंगापन का विरोध श्री दिलीप कुमार जैसे फिल्म अभिनेता और राष्ट्रभक्त को भी करना चाहिए। यदि ऐसा नंगापन का प्रदर्शन पैसे कमाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर चल सकता है तो युवकों का 'अंडरवियर' प्रदर्शन भी प्रदर्शन की स्वतंत्रता में ही आएगा। इसे हिंसक हमला नहीं कहा जा सकता है।

यह सब नैतिक शिक्षा कें अभाव में समझदारी की कमी के फलस्वरुप देश में दिखाई पड़ रहा है। शराब पीने के कारण देश के हर कोने में असामयिक मौतें हो रही हैं। किन्तु इस मद्यनिषेध के पक्ष में कोई फिल्म इतनी जोरदार ढंग से चर्चा और समाचारों की सुर्खियों में नहीं आ रही हैं। यह आश्चर्यजनक सत्य है कि वर्ष 1998 में आलू, प्याज, हरी सब्जी, सरसों के तेल के भाव बढ़ने पर दिल्ली और राजस्थान की सरकारें बदली किन्तु हरियाणा में मद्यनिषेध के विरुद्ध संसद के चुनाव में मत दिये और अन्नतः सरकार मद्यनिषेधाज्ञा आदेश वापस लेने को बाध्य हुई। पता नहीं देश कैसे '' सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा'' होगा जब हम '' बन्दे मातरम्'' में शीश नहीं झुका सकते। रामानुज के वचन को उद्धरित करते हुए संत विनोबा ने अपने विष्णुसहस्त्र नामक पुस्तक में लिखा कि कोष में जितने शब्द हैं सबका अर्थ भगवान है। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था ईश्वर एक है और सार्वभौम है। उपरोक्त मुद्दे पर किसी सांप्रदायिक संगठन राजनैतिक दल द्वारा विरोध या चुप्पी साध लेना राष्ट्रविरोधी हैं। केवल वोट मिलने के लोभ से ऐसा करना शहीदों का अपमान हैं।

मेडिकल लापरवाही सें संबंधित जानकारी

1. अस्पताल अपने यहॉ नियुक्त डाक्टर एक कर्मचारियों की लापरवाही के लिए जिम्मेदार होगा।
2. बालक के माता–पिता उपभोक्ता की तरह मान. सिक पीड़ा के लिये मुआवजे के अधिकारी होंगें।
3. कोई भी परामर्शदाता अपने जूनीयर को यदि बिना उसकी काबिलियत जाने अपनी जिम्मेदारी का प्रत्यायोजन करता है तो यह लापरवाही मानी जायेगी।

5. डाक्टर दवाईयों के नाम पूरा तथा साफ तरीके से लिखेंगे ताकि मरीज को समझने में आसानी हों।
6. मरीज को उसकी बीमारी एवं इलाज के बारे में पूरी जानकारी देगा ताकि डाक्टर एवं मरीज के बीच का विश्वास बना रहे।
7. मरीज अपने इलाज, खान–पान के संबंध में डाक्टर द्वारा बताए गये निर्देषों का पालन करेगा।
8. डाक्टरी रिकार्ड में पारदर्शिता होनी चाहिये, उनकी उचित देख–रेख होनी चाहियें तथा वह मरीज को उपलब्ध होनी चाहिये।
9. नर्सिग स्टाफ प्रशिक्षित होना चाहिये तथा उन्हें मेडिकल की वर्तमान जानकारी होनी चाहिए।
10. मरीजों के प्रति डाक्टरों नर्सों तथा अस्पताल कें अन्य कर्मचारियों का नजरिया मानवीय होना चाहिए लाभ अर्जित करने वाले व्यवसाय हेतु नहीं होना चाहिए।

शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है।

कूड़े के ढेर पर वैशाली

अंसल प्लाजा
वैशाली नाला

32 मीटर मेन रोड
सिंडिकेट बैंक के
सामने

सेक्टर–4 मंदिर
के पास

सेक्टर–3 अंसल
प्लाजा के पास

अंसल प्लाजा वैशाली स्थित नाले में बहता खतरनाक रासायनिक पदार्थ

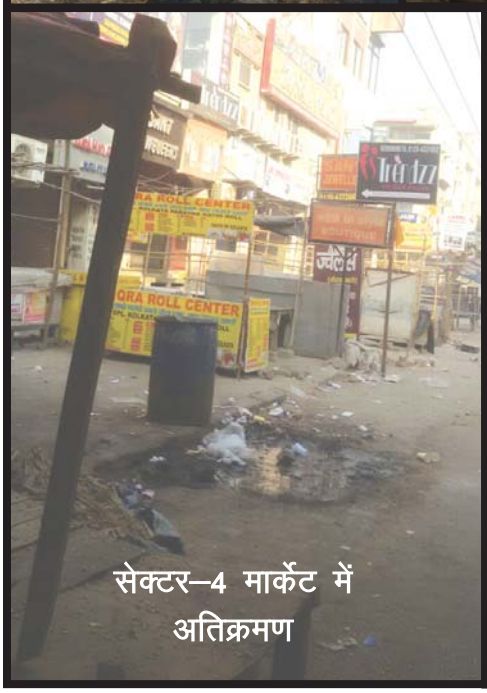

सेक्टर–4 मार्केट में
अतिक्रमण

सेक्टर–4 वैशाली
पुलिस बूथ

सेक्टर–4 वैशाली
मार्केट में आरके टावर के
सामने जलता पॉलीथिन

हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है

सेक्टर–3 बिजली घर
के पास

सेक्टर–4 शाप्रिक्स मॉल

सेक्टर–4 पार्क में फैला कूड़ा
व आवारा गाय

सेक्टर–4 मेन रोड

32मीटर में कूड़ा एवं पशुओं का
तबेला वैशाली सेक्टर 3–एफ

सेक्टर–3 भरा पड़ा
सीवर टैंक

सेक्टर–4 पार्क में लगा कूड़ा पशु

सेक्टर–3 मेन रोड पर
बना अवैध रिक्शा स्टैंड

सेक्टर–4 मेन मार्केट में दुकानदारों
द्वारा किया गया अतिक्रमण

सेक्टर–3 रचना रोड
पर पड़ा कूड़ा

पूर्वांचल राज्य की माँग क्यों ?

डा. बीडी पांडेय

पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इसकी वजह जाति मार्गदर्शित राजनीति, विशाल भू–भाग तथा विशाल जनसंख्या है। पूर्वांचल के प्रमुख मुद्दों में – नागरिक बुनियादी सुविधाओं की कमी, उचित ग्रामीण शिक्षा और रोजगार का अभाव, अंधकारमय कानून और व्यवस्था चिंता के प्रमुख कारण हैं। पूर्वांचल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है परन्तु इस क्षेत्र को प्रदेश तथा केन्द्र की सरक. ारों द्वारा हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है।

आज यह क्षेत्र गन्ना, गरीबी और गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में इतिहास बनाने वालों की भी कमी नहीं है। इस क्षेत्र ने देश को जहाँ स्वतंत्रता तथा वीरता के अमर नायक मंगल पांडे, चन्द्रशेखर आजाद, वीर अब्दुल हमीद और कुँवर सिंह को पैदा किया है, वहीं लालबहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चन्द्रशेखर एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेताओं ने इस प्रदेश को समृद्ध किया है।

इस क्षेत्र से हिंदू धर्म की अपनी उपसमुच्चय बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। यह भू–भाग गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि पतंजलि, संत रविदास, मलिक मुहम्मद जायसी, कबीर, मुंशी प्रेमचंद, विद्यानिवास मिश्र एवं पं० मदनमोहन मालवीय आदि से उर्वर रहा है। वाराणसी भारतीय पर्यटन और विशेष रूप से साड़ी के निर्माण का केन्द्र है। सोनभद्र पूर्वांचल का एक ही जिला 7000 मेगा किलोवाट बिजली का उत्पादन करता है जो उत्तर प्रदेश राज्य के कुल बिजली उत्पादन का लगभग आधा है और भारत का सबसे बड़ा। यहाँ केवल चूना पत्थर की प्रमुख खदान है। वाराणसी और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के 65 प्रतिशत से अधिक लोगों को आकर्षित करता है। मिर्जापुर और सोनभद्र प्राकृतिक संसाधनों के साथ बहुत समृद्ध हैं। इस सब के बावजूद पूर्वांचल अभी भी राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इसका मुख्य कारण राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की उदासीनता है।

1991 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना की जिसका उद्देश्य था कि क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के लिए पैसा जमा किया जा सके और क्षेत्र का संतुलित विकास होय स्थानीय जरूरतों को पूरा किया जा सके तथा क्षेत्रीय असमानताओं का निवारण हो। लेकिन भ्रष्ट वितरण माध्यम के कारण परिस्थितियाँ अभी भी वही हैं। राजनैतिक दल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजा. ति, अन्य पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का खेल खेल रहे हैं। यह राजनैतिक पैंतरेबाजी ही इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। गैंगवार, वसूली, तस्करी, कोयला माफिया और ड्रग माफिया का खौफनाक जाल भी पूर्वांचल की बड़ी समस्या है। विकास की कमजोर रफ्तार और बेरोजगारी ने पूर्वांचल की समस्याओं को कई गुना बढ़ा दिया है और इन्हीं समस्याओं ने स्थानीय जनमानस के भावों को देख पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बाध्य किया है।

आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में प्रमुख राजनैतिक दल कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा की सरकारें रहीं।

देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस एकता की कल्पना करके 535 रियासतों का एकीकरण करवाने का साहसिक व सफल कार्य किया था, आज उसका कुछ अलग ही रूप हो गया है। राजनीति की रोटियों के सेंकने से लेकर विकास का नाम दिए जाने के साथ देश में आज नवनिर्मित तेलंगाना को जोड़ें तो उनतीस (29) राज्य और छः (6) केन्द्रशासित राज्य हो गए हैं।

प्रस्तावित राज्य पूर्वांचल उत्तर–मध्य भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है। सर्वप्रथम 1935 में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी ने पूर्वांचल भू–भाग के आधार पर भोजपुर प्रदेश की माँग की थी। यह प्रस्तावित राज्य उत्तर प्रदेश विधानसभा में 171 विधायक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र से 34 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं।

पूर्वांचल के मुख्यतः तीन भाग हैं – पश्चिम में अवधी क्षेत्र, पूर्व में भोजपुरी क्षेत्र और उत्तर में नेपाली क्षेत्र। यह गंगा मैदान पर स्थित है और पश्चिमी बिहार के साथ दुनिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों की तुलना में मिट्टी की समृद्ध गुणवत्ता और उच्च केंचुआ घनत्व के कारण कृषि के अनुकूल है। इस क्षेत्र में हिंदी और अवधी के अलावा भोजपुरी बोली जाती है। एक बड़ी आबादी, धीमी गति से आर्थिक विकास, कृषि यंत्रीकरण तथा चीनी मिलों के बंद होने से बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हुई, यह सामाजिक असंतोष का कारण है।

पूर्वांचल राज्य की माँग कोई नई नहीं है परन्तु अब अलग तेलंगाना बन जाने के बाद नये राज्यों की माँग उठना स्वाभाविक है। नये राज्यों की माँग में पूर्वांचल राज्य की माँग भी जोर पकड़ चुकी है।पूर्वांचल को चीनी का कटोरा कहा जाता था।

आज वही पूर्वांचल मिठास के लिए तरस रहा है। जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, पडरौना और गोण्डा की चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। गोरखपुर में खाद का कारखाना तो मिर्जापुर में सीमेंट की फैक्ट्री बंद हो चुकी है। पूरब के लोग मुम्बई, दिल्ली एवं पंजाब आदि में मजदूरी करने को मजबूर हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जन–बल के बूते पर बड़े–बड़े कारोबारियों को खड़ा कर करोड़ों–अरबों में खेलने वाले अब हमीं को आँख दिखा रहे हैं। इसलिए पूर्वांचल की गुरबत बरकरार रखने का समय आ चुका है।

जब–जब जन में चिंगारी उठती है तब–तब वह सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है।

पूर्वांचल की वो मिट्टी जिस मिट्टी का अन्न जल खाकर हमारे शरीर की रचना हुई। जिस वसुन्धरा का दुग्धपान कर हम इतने बड़े हुए, उसी भारत माँ की ये पापी, राक्षस, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी आबरू लूट रहे हैं और हम चुपचाप खड़े सबकुछ देख रहे हैं। इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा?

मधुरा परम वत्सला धरती तेरी निधि अक्षय है,
जय पूर्वांचल लोक विभूषण जय पूर्वांचल जय है।
जन–जन का उत्थान अमर हो, आये नया सवेरा,
बने विश्व मंगल की प्रतिमा, पूर्वांचल स्वप्न तेरा।
जनगण के तुम भाग्य विधाता समृद्धि के संचय हैं
जय पूर्वांचल महामहिम है, जय पूर्वांचल जय है।।

भारतीय भाषा अभियान

अश्विनी मिश्रा

भारतीय भाषा अभियान भारत की समस्त भाषाओं के सर्वांगीण,सर्वस्वीकार्य एवम सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त करने का एक सुनिश्चित अभियान है।

भाषा रूपी अविरल थााती सहेजकर परिमार्जित व परिष्कृत कर उसके अपने मूल रूप में सौंपना अभियान का मूल उद्देश्य है।

हम विद्वता के पक्षधर हैं और भारत की समस्त भाषाओं में ही नहीं विश्व की अनेकोनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के पक्षधर हैं क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम हमारा मूल है इसमें हमारी दृढ़ आस्था है हम मूल के और मूल्यों के पूजक हैं और माँ, मातृभूमि व मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हमारा आदर्श वाक्य है।

भाषा किसी भी राष्ट्र, राज्य, या समूह में केवल वार्तालाप अथवा संवाद व विचारों के आदान –प्रदान का माध्यम ही। नहीं होती अपितु अपने माध्यम से यह संस्कृति,संस्कार,व पूर्वजों की अमूल्य धरोहर को आगे बढ़ाने का काम भी करती है।भारत की समस्त भाषाएँ हमारी अपनी भाषाएँ हैं।अपनी भाषा में शिक्षण व्यक्तित्व विकास हेतु अति आवश्यक है इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी स्वीकार किया जा चुका है।

भारतीय भाषा अभियान हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित करते संस्था सदस्य।

समय –समय पर विश्व भर के विभिन्न विद्वानों सहित अनेक न्यायाधीशों ने भी अपनी भाषा के प्रति अपनी अभिरूचि प्रकट करते हुए कहा है कि प्रयोग में आने वाली भाषा आपकी मूल भाषा होनी चाहिये न कि कोई आयातित भाषा विश्व के समस्त राष्ट्रों जिन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की है ये वही राष्ट्र है जिनकी प्रथम भाषा उनकी अपनी है इतना ही नहीं अपितु राजकीय कामकाज की भाषा भी उनकी अपनी भाषा है।

भारतीय भाषा अभियान भारत की समस्त भाषाओं के सर्वाधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने का अभियान है। इस अभियान के माध्यम से हमारा प्रयास है कि रोजमर्रा के उपयोग के साथ –साथ शिक्षण व्यवस्था व कार्यालयी काम –काज की भाषा हमारी अपनी भाषा हो। यह असम में असमिया व बोडो हो, गुजरात में गुजराती, मध्य भारत में हिन्दी या महाराष्ट्र में मराठी फिर वह संथाली, तमिल,कन्नड़,मलयालम या कश्मीरी भाषा ही क्यों न हो।

भारत की सभी भाषाएं हमारे राष्ट्रीय व सांस्कृतिक ताने–बाने की अभिव्यक्ति व प्रकटीकरण भी है।वस्तुतः भारत एक बहु भाषा –भाषी राष्ट्र हैं जहाँ बोलियों व भाषाओं का अनुठा संगम देखने को मिलता हैं और इन्हें सर्वस्वीकार्य व सर्वग्राह्य बनाने के लिए हमें 19वीं व २०वीं सदी की मानसिकता से बाहर आना होगा और एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर अपने मूल पर कुठाराघात करने की प्रवृत्ति छोड़कर उसे अमृतमयी कर्त्व्यपरायणता से सींचना होगा।

जो लोग परिवर्तन को सहन नहीं कर सकते उन्हें। यह जानना होगा तथा जानकर, यह मानना होगा कि देशकाल एवम् परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन अति आवश्यक है,जो कि समयानुकूल भी है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि भाषा के विकास के लिए उसका अधिकतम उपयोग हो तथा वह रोजगार से संबद्ध हो।

यह अभियान यह आह्वान करता है कि हम केवल उन विद्वानों तक सीमित न रहें जो अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा तक सीमित रहकर अपनी विद्वन्ता का परिचय देते हैं अब उन्हें अधिकतम अवसर प्रदान किया जाय जिनका अपनी –अपनी भाषा में कोई सानी नहीं है और ये विद्वान न्यायालयों में अधिवक्ता, न्यायाधीश, विद्यालयों में छात्र, शिक्षक, चिकित्सालयों में चिकित्सक, समस्त बैंककर्मी सहित आम जीवन से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि में अपनी भाषा का उपयोग हो तथा कार्यालयों में अपनी भाषा के पारंगत आशुलिपिक व टंकणों की भर्ती हो। प्रत्येक व्यक्ति हस्ताक्षर अपनी भाषा में करें, नाम पट्टिका, सूचना पट्ट, सहित समस्त दैनंदिन कार्य अपनी भाषा में करने का हम संकल्प लें। हमारा उद्देश्य देश के सभी सर्वहारा आम जनमानस सहित सभी भाषाओं के विद्वानों का मनोबल ऊँचा उठाना है जो अभी किसी विदेशी भाषा के प्रभाव में छुपे हुए दरकिनार हैं व राष्ट्र की मुख्य धारा से कटे हैं। भारत में लगभग 48करोड़ लोगों की भाषा हिंदी है इस प्रकार भारत के विभिन्न प्रांतों के भिन्न –भिन्न भाषा –भाषी लोगों की स्थिति है। उनकी अपनी भाषाएँ भारत की प्राणवायु हैं उनका संवर्द्धन आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपनी भाषा से जुड़ना वास्तव में उसका अपने राष्ट्र से जुड़ना हैं। राजभाषा, मातृभाषा और संपर्क भाषा के विषय में संशय और तालमटोल हमारी ही जीवंतता को कुंद करता है जबकि लोकभाषा सदैव प्रगति का एक सटीक और अचुक माध्यम है क्योंकि भाषा की मजबूती ही एक मात्र मार्ग है जो सर्वांगीण विकास कर सकती है। भाषा को लेकर भारत के संविधान में स्पष्ट निर्देश हैं। भारतीय संविधान के भाग –17 अध्याय 1 के अन्तरगत अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ व राज्य की भाषाओं पर निर्देश दिया गया है तथा आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनु० 343 में संघ की भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है परन्तु अंक अंतर्राष्ट्रीय जगत के स्वीकृत अंक ही है न कि हिंदी भाषा के तथा ये प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने के अगले 15 वर्षा तक संघ की सभी कार्यालयी भाषा अंग्रेजी भाषा होगी और यह भी प्रावधान किया गया कि अगले 15 वर्षो के काल में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आदेश से श्हिन्दीश भाषा अंग्रेजी भाषा के साथ अपने देवनागरी लिपि के साथ व अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ संघ के किसी भी कार्यालयी उपयोग हेतु श्अधिकृतश की जा सकती है। और अनुच्छेद 343(3) के द्वारा सरकार ने यह शक्ति प्राप्त कर ली कि वह इस 15 वर्ष की। अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। 1963 के राज्यभाषा अधिनियम ने तो हिंदी को और पछाड़ने का काम किया, और पूरे देशपर मानसिक पराधीनता थोपी गई। इसी प्रकार भाग 17 अध्याय –2 में क्षेत्रीय भाषा का वर्णन है अनुच्छेद 345 व 346 से भाषा के संबंध में राज्यों को छुट दी गई है।

आधार नामांकन सौ करोड़ के पार

देश में आधार नामांकन की संख्या कुछ ही दिनों में 100 करोड़ के आंकड़े को लांघ जाएगी। इस उपलब्धि से सरकार की उस योजना को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है जिसके तहत वह विभिन्न सामाजिक योजनाओं का लाभ व सब्सिडी लाभान्वितों को सीधे पहुंचाना चाहती है।आधार हर नागरिक को आवंटित की जाने वाली विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार योजना का कार्यान्वयन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआईडीएआई) कर रहा है। यूआईडीएआई की वेबसाइट के अनुसार, 'अब तक कुल 99.91 करोड़ आधार जारी किए गए हैं। रखरखाव गतिविधियों के कारण पोर्टल संख्या, रिपोर्ट को अपडेट नहीं किया गया है। पोर्टल को शीघ्र ही अपडेट किया जाएगा।' दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें वे आधार नामांकन 100 करोड़ होने की घोषणा करेंगे। उल्लेखनीय है कि सरकार इस योजना को सांविधिक समर्थन देने के लिए आधार विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। सरकार विशिष्ट पहचान परियोजना के तहत नामांकन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है ताकि आधार का इस्तेमाल सब्सिडी तथा समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं का फायदा सीधा लाभान्वितों को दिया जा सके।

भारत में उच्चतम न्यायालय

विधि की सर्वोच्चता को सत्य सिद्ध करने के लिये उच्चतम प्राधिकार और अधिकतम व्यापक कार्यक्षेत्र प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1050 को हुआ। इसे प्राप्त है:–

1. संघ तथा उसकी किसी इकाई अथवा एक इकाई और दूसरी इकाई के बीच विवादों पर अनन्य अधिकारिता संविधान का (अनुच्छेद 131)
2. भारत के राज्य क्षेत्रों के बाहर से उत्तपन्न मामलों में अनन्य अधिकारिता (अनुच्छेद 31)
3. संघ की क्षमता के भीतर संसद द्वारा यथाविहित अन्य मामलो के विषय में अधिकारिता (अनुच्छेद 138)
4. संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों के प्रवर्तन की अधिकारिता (अनुच्छेद 32)
5. जैसी कि प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी वैसी सामान्य अपीलीय अधिकारिता (अनुच्छेद 132 व 133)
6. भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा किसी वाद अथवा मामलें में पारित अथवा दिये गये किसी निर्णय, डिक्री अवधारण, दंडादेष अथवा दंड के विरुद्ध, विशेष इजाजत से अपीलें ग्रहण करने की विशेष अधिकारिता' जो क्राउन के विषेशाधिकार है' (अनुच्छेद 136)
7. विधि अथवा तथ्यों के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देष की सुनवायी करने की परामर्श अधिकारिता (अनुच्छेद 143)
8. भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय करने (संविधान का अनुच्छेद 71 और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952) और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के कदाचार की जांच करने (अनुच्छेद 371) की विषेश अधिकारिता।

नेता की आरती

जय नेता जी, जय नेता जी
जय नेता जी, जय नेता जी।।
बदमाशों के भाग्य विधाता, अपहताओं का तू है भ्राता,
गुण्डों का जीवन दाता और लफंगे शीश झुकाता।
डाकू चोर सब तेरे बस में उसे नहीं कुछ हो जाता जी।।
जय नेता जी, जय नेता जी
जय नेता जी, जय नेता जी।।
राशन खाता रिश्वत खाता, पशुओं का चारा खा जाता,
इस पर भी न पेट भरे तो अलकतार भी चट कर जाता
ठेकेदार है तेरे चमचे सभी हजम चट कर जाता जी।।
जय नेता जी, जय नेता जी
जय नेता जी, जय नेता जी।।
ऑफिसर पर रोब दिखाता, थानेदार तुझसे थर्राता।
चपरासी तेरा गुण गाता, मुंह मांगे वह घूस कमाता।
अपराधी गर पकड़ा जाए झट से फोन घुमाता जी।
जय नेता जी, जय नेता जी
जय नेता जी, जय नेता जी।।
बडे योजनाओं का दाता, कागज पर सब काम हो जाता,
जनता को कुछ मिल ना पाता, तुझको कोई समझ न पाता
फिर भी जनता आशा लेकर तेरे कदम चूमने जाता जी
जय नेता जी, जय नेता जी
जय नेता जी, जय नेता जी।।
राजनीति का होता क्षय पर बाहुबल का हुआ उदय,
जनता के दिल में भय, मन में आज भरा संशय।
गली, मुहल्लों या सड़कों पर तेरी हो जय होता जी।।
जय नेता जी, जय नेता जी
जय नेता जी, जय नेता जी।।
मन्दिर का मुद्दा उदालकर, जातिवाद का जहर घोलकर
मिले चैन सत्ता में आकर खुश होवे मंत्री पद पाकर
धर्म निरपेक्ष का स्वांग रचाकर जन्ता को भरमाता जी।।
जय नेता जी, जय नेता जी
जय नेता जी, जय नेता जी।।
झूठे वादे करने वाला नहीं किसी से डरने वाला
क्रते हो, निशिदिन घोटाला चले पहन कर फूल की माला
गेली और बन्दूक साथ में तेरे कारवा बढ़ता जी।।
जय नेता जी, जय नेता जी
जय नेता जी, जय नेता जी।।

क्या हम यह नहीं जानते कि आत्म सम्मान आत्म निर्भरता के साथ आता है।

"डोम हाथ हरिश्चन्द्र बिकानो"

चिकित्सा के नाम पर उभरे छोटे–छोटे अस्पताल बड़े नामी अस्पतालों के दलाल

अश्विनी मिश्रा

बड़े शहरों के आस पास छोटे– छोटे शहरो का उदय स्वतः ही आवश्यकता के अनुसार धीरे–धीरे होने लगता है। जिसमें मांग और पूर्ति का नियम वहां बाहर से या आस– पास के गांवों कस्बों से आकर बसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लागू होता है। श्री राम के पूर्वज अयोध्या नरेश सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र को श्मशान घाट पर मृतक शवो को जलाने वाले 'डोम' के हाथ बिकना पडा और 'डोम' के दास के रुप में मुर्दो को अंतिम संस्कार से पहले वसूली करने का काम मिला, इतना ही नही अब अपनी संतान रो. हित को मणिकर्णिका घाट पर जलाने के लिये हरिश्चन्द्र की धर्मपत्नी लेकर आयी तो 'डोम' के दास हरिश्चन्द्र ने उससे भी कहा कि बेटे का शवदाह तो 'डोम' की वसूली देकर ही होगा, लेकिन आज वह पवित्र उद्देश्य मूल 'डोम' का कार्य करने वालों तक ही सीमित रह गया है, 'डोम का कार्य श्मशान घाट पर है इसे 'डोम' का कार्य करने वसूली करने वाला भलि–भांति जानता, समझता और निभाता भी हैं। लेकिन बाजारु व्यवस्था मे हर चीज का डुब्लीकेट है, नकल उपलब्ध है। यह 'नकली डोम' अब श्मशान घाट पर नही, जहां–जहां बाजार है जहां–जहां लेन, देन है जहां–जहां कमीशन है, दलाली है वहां–वहां अब नकली 'डोम' उपलब्ध है। इस नकली डोम ने असली डोम से जिस चीज की क्रिया की नकल की है, वह है वसूली असली 'डोम' की वसूली सिर्फ दाह के लिये प्रतीक भर है पर नकली डोम जीवित और मृत दोनों से वसूली कर रहा है। इसके लिये पूरा जाल बुना हैं, मकडी के जाल से भी सशक्त।

यही कारण है कि अब बीमारी मौसम के अनुसार नही बल्कि नियमित रुप से हो रही है। पहले व्यक्ति बदलते मौसम के अनुसार बीमार होता था तो, डाक्टरों के यहां लाईन लग जाती थी, किन्तु अब बारह मास लाईन लगी होती है, जिसका मूल कारण दूषित जल, दूषित भोजन, दूषित पर्यावरण है। जैसे–गंगा वाटर सप्लाई है, पर ना तो उस जल में गंगा की शुचिता है ना ही शुद्धता बल्कि कुछ डांक्टर और जल कर्मियों की मिलीभगत की सीवर का पानी मिक्स करके घरों तक सप्लाई हो तो इन नवीन 'डोमो' की वसूली हो वो डांक्टर जो कि टेस्ट जरुरी नहीं होने पर भी सारे टेस्ट करा रहा है नकली 'डोम के रुप में दलाली भी खा रहा है, जैसे– शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी स्कूलों का कुकुरमुत्ता की तरह जन्म, वैसे ही अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालसे कमीशन प्लस अस्पताल तक के सफर किसी व्यक्ति की छोटी सी बीमारी से धीरे–धीरे रुटीन चेंकअप टेंस्ट, आक्सीजन, वेन्टीलेटर और मोर्चरी वेन तक डुप्लीकेट 'डोम' का कारोबार असली डोम के दरवाजे पर ही जाकर समाप्त हो रहा है।

नकली डोमों के संग बन गये है सीवर का गन्दा पानी, गले की खराश से लेकर, फेफडे, किडनी, लीवर के फेलियर तक करायेगा, और नकली 'डोमो' की वसूली आसान बनायेगा, कुछ चिकित्सक जो की नकली 'डोम' बन गये है। और जलकर्मी जो की नकली 'डोम' बन गए है, इस धंधे में जबरदस्त वसूली कर रहें है, और अपनी वसूली के बाद पडोस के छोटे से लेकर बडें अस्पताल तक की प्रस्तुति जैसे कि उन्हीं अस्पतालो का दलाल अब तक आपकी चिकित्सा करता रहा, अब रोकर करता है कि फला प्राईवेट अस्पताल तो आपके बलग में हैं आपके पास मेडिकल कार्ड हैं या नहीं यह बात आते– आते बार– बार जरुर पूछेगा क्योकि कार्ड का मतलब 'वसूली' अब धन के अभाव में मेरा इलाज कब तक चलेगा यह मेरे मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड की लिमिट तय करेगी।

,और नकली 'डोम' भी मेरा इलाज तभी तक करेंगे व उतना ही करेंगे जितनी मेंडिकल कार्ड के इंश्योरेंस में सीमा निर्धारित हैं, उसके बाद, हास्पिटल की ऐम्बुलेंस वेंन या मार्चरी वो भी नकली 'डोमो' के समूहों की वसूली के बाद, यहां भी अगर अपनी कांल करके ऐम्बुलेंस बुलायी तो वह चिकित्सक जो नकली डोम भी हैं, उस ऐम्बुलेंस को अपने गुर्गों के साथ मरीज व उसके परिजनों को डराते हुए कहेगा की इसमे सही उपकरण नहीं हैं आप अस्पताल की वैन से जाओ जिसका किराया बाहर से आयी वैंन जिससे आप मोल– तोल कर चुके हैं, का दुगुना होगा, नही तो नकली 'डोम' कहेगा की उसमें जैसा चिकित्सक नही हैं, जो रास्ते में स्थिति गंभीर हो सकती हैं, इसिलिये अपनी वैन मे खुद सुपर– स्पेशियलिटी लेकर चलूंगा, क्यूकि वहां के बिल में इस नकली 'डोम' का कमीशन भी मिक्स है, इस बीच अगर कहीं अपनी पसन्द के अस्पताल में जाना चाहे तो आपसे कई बार कहेगा कि आप वहां अपने रिस्क पर ले जाओ रास्तें में कुछ भी हो सकता है, जहां में कह रहा हूं वहां नही ले गये तो अभी मरीज की कन्डीशन खराब हो जायेगी, क्योंकि अब आपका मरीज चिकित्सक नहीं बल्कि नकली 'डोम' के चुंगल में है, और यह नकली 'डोम' भी अस्पताल के मालिक का पालतू हैं, जो जितना वसूली करवायेगा उतना कमीशन पायेगा, यहां परम प्रतापी हरीश्चन्द्र जी का स्थान इस नकली 'डोम' रुपी चिकित्सक ने लिया और वह मूल डोम जिसके हाथ हरीश्चन्द्र जी बिके वह अस्पताल नहीं धीरे– धीरे अस्पतालो का मालिक बन रहा है। एक दो चार छः नही और कई जाल बिछता जा रहा है, और फिर अपने अस्पताल से बड़ा अस्पताल सुपर स्पेशियलिटी जहां नकली 'डोम' पिड़ित मरीज की कंडीशन क्रिटिकल कर के आपको खुन के आसूं रुलाता है और बराबर तब तक आपके मरीज को उस अस्पताल में भर्ती किया है और इलाज चल रहा है, – जब तक आप बिल चुकाते जा रहें हैं इस नकली डोंम का मालिक अप्रत्यक्ष रह कर प्रक्षय नकली डोंम के माध्यम से सब कुछ करवाता है जिससे उसकी वसूली बडें और नकली डोम रुपी चिकित्सक का कमीशन बढ़ता रहें।

आप परमात्मा पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं पर विश्वास न करें।

आरबीआई ने जारी करने जा रहा नए नोट

नई दिल्ली भारतीय रिजर्व बैंक जाली नोटों पर लगाम लगाने की दिशा में कदम उठाते हुए जल्द ही नए नोट जारी करने जा रहा है। जारी किए जाने वाले नए नोटों में 1,000 और 500 रुपये के नोट भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि इन नोटों को सात नए सिक्योरिटी फीचर्स और नए नंबर सिस्टम के साथ लगाया जा रहा है।

इनकी वजह से अब नकली और असली नोटों की पहचान की आसानी से की जा सकेगी। भारतीय रिजर्व बैक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रिवाइज्ड नंबर सिस्टम और 7 नए सिक्योरिटी फीचर्स वाले इन नोटों को छापने के बारे में जानक. ारी दी है।नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले मार्किट में नए फीचर्स के साथ 1,000 और 500 के नोट आएंगे, जिनके बाद अन्य नोटों पर भी इन सुरक्षा फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये नोट अगले साल मई तक बाजार में आ जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, इन नोटों के दोनों नंबर पैनलों के अंक अब बाईं से दाईं ओर बढ़ते क्रम में होंगे। पहले तीन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स (प्रिफिक्स) की साइज पहले जैसी ही होगी। इनमें रुपये का सिंबल रहेगा। दोनों नंबरिंग पैनलों के अंदर ₹ लिखा रहेगा। नोट में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के साइन के साथ छपाई का साल 2015 अंकित रहेगा।

ग्रीन बेल्ट में आस्था

कुलदीप सक्सेना

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ठीक ही फटकारा है कि उन्होंने सड़कों, फुटपाथों और ग्रीन बेल्ट पर बने अवैध धार्मिक ढांचे हटाने संबंधी कोर्ट के निर्देश का पालन क्यों नहीं किया। कुछ समय पहले अदालत ने राज्यों के मुख्य सचिवों से इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए हलफनामे दाखिल करने को कहा था। इस मामले में उनके टालू रवैये की कड़ी खबर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि दो सप्ताह के भीतर उन्होंने ऐसा न किया तो उन्हें निजी तौर पर कोर्ट में पेश होकर सफाई देनी पड़ेगी। बेंच ने बहुत साफ कहा है कि किसी सार्वजनिक रास्ते में अड़चन डालना भगवान का काम नहीं है, लेकिन आप तो भगवान के नाम पर सीधे–सीधे लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। यह आस्था का मामला नहीं है, लोग इससे पैसा बना रहे हैं। सवाल यह है कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई धार्मिक ढांचा खड़ा ही क्यों होने दिया जाता हैध् पिछले साल जब दिल्ली की सड़कों से अवैध धार्मिक ढांचे और अतिक्रमण हटाने में प्रशासन का रवैया ढुलमुल नजर आ रहा था, तब केंद्रीय सूचना आयोग ने भी अपनी टिप्पणी में इसे गलत बताया था। इस काम में आम नागरिकों को भी आगे आने की जरूरत है। उन्हें मुंबई और जबलपुर के जागरूक लोगों से सबक लेना होगा, जिनकी पहल पर एक समय इन शहरों में बड़ी संख्या में अवैध धार्मिक निर्माण हटाए या प्रतिस्थापित किए गए थे। लेकिन सचाई यह है कि अवैध निर्माण की जड़ें वोट बैंक की राजनीति से सीधे जुड़ी हैं। जिन लोगों पर कानून–व्यवस्था की रखवाली का जिम्मा है, वे हाथ पर हाथ धरे जगह–जगह अवैध निर्माण होते और उन पर 'प्राचीन धार्मिक स्थल' का बोर्ड टंगते देखते रहते हैं। फिर जब इन्हें हटाने की बारी आती है तो इनके इर्द–गिर्द लोगों की भीड़ देखकर उनके हाथ–पैर भूल जाते हैं। ऐसे में धर्म राजनी. तिक धंधेबाजी के साझीदार वाली भूमिका में आ जाता है। समय–समय पर कई दूसरी अदालतें भी इस मामले में निर्देश जारी कर चुकी हैं, लेकिन धर्म और राजनीति के ठीकेदारों के रवैये में इससे कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। अगर इस बार भी निर्देश का पालन नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट को शायद और भी सख्त कदम उठाने पड़ें।

प्रसन्नता आपके कार्यों से आती है।

पनामा के टैक्स हैवन

पनामा के टैक्स हैवन से कर दस्तावेजों के भारी खुलासे से निकले बड़े नामों से अंतरराष्ट्रीय भूचाल आ गया है, जिनमें 12 मौजूदा या पूर्व राष्ट्र–प्रमुख भी शामिल हैं। पनामा की लॉ फर्म मोसैक फॉन्सेका के माध्यम से 1.15 करोड़ से अधिक दस्तावेज गुमनाम माध्यम से जर्मन अखबार सुडुशे जीतुंग को मिले, जिसने इन्हें अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकार संघ (आईसीआईजे) के साथ साझा किया। 100 से अधिक मीडिया समूहों के 300 पत्रकारों की जांच के अनुसार 1977 से 2015 के काल में पनामा में 36,957 अवैध भारतीय खाते हो सकते हैं, जिनमें 500 बड़े लोगों का खुलासा हो सकता है।

ब्लैक मनी पर मोदी सरकार की चुप्पी – 2014 के आम चुनावों के दौरान (अब पीएम) नरेंद्र मोदी द्वारा यह वादा किया गया था कि सरकार बनने पर 100 दिन के भीतर विदेशों से ब्लैक मनी भारत लाई जाएगी और हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये जमा होंगे। सरकार बनने पर जब सवाल खड़े हुए तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे चुनावी जुमला ही करार दे दिया। पनामा लीक्स से स्पष्ट है कि बाबा रामदेव का 400 खरब से अधिक की ब्लैक मनी का दावा सही भी हो सकता है, जिस पर सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है।

ऑक्सफैम की रिपोर्ट के बावजूद टैक्स प्रबन्धन की विफलता – ऑक्सफैम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 201 बड़ी कम्पनियों में से 188 के खाते पनामा जैसे टैक्स हैवन में हैं, जिनमें टैक्स चोरी की रकम जमा होती है। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सही टैक्स दिया जाए तो इससे 190 बिलियन डॉलर से अधिक की सालाना आमदनी हो सकती है। भारत में 15 बिलियन डॉलर से अधिक का ई–कॉमर्स व्यापार है, जिस पर इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स की सही वसूली करने के बजाए उस पर एफडीआई की सहूलियत दे दी गई, जिससे बड़े पैमाने पर मन्दी और बेरोजगारी भी फैल सकती है।

पी. नोट्स एवं एफडीआई से टैक्स हैवन को बढ़ावा – देश के शेयर बाजार में एफआईआई द्वारा पिछले वर्ष पी. नोट्स के माध्यम से 2.54 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश किया गया, जो टैक्स हैवन के माध्यम से आता है। एफडीआई के माध्यम से पिछले वर्ष 40 बिलियन डॉलर के निवेश का दावा कर जिसे विकास का सूचकांक बताया जा रहा है, पर नीति आयोग भी विकास के इस मॉडल की आलोचना कर चुका है।

स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर

दिल्ली अक्षरधाम या स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित भारतीय संस्कृति, वास्तुकला, और आध्यात्मिकता के लिए एक सच्चा चित्रण है। इस मंदिर परिसर को पूरा बनने में 5 साल का समय लगा जिसे श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के कुशल नेतृत्व में पूरा किया गया। इस मंदिर को 11,000 कारीगरों ने मिलकर बनाया है जिसमें 3000 से ज्यादा स्वयंसेवक भी शामिल थे, इस मंदिर परिसर का उदघाटन आधिकारिक तौर पर 6 नवम्बर, 2005 को किया गया। गौरतलब है की मंदिर वास्तु शास्त्र और पंचरात्र शास्त्र की बारीकियों को ध्यान में रख कर बनाया गया है।

पूरा मंदिर परिसर 5 प्रमुख भागों में विभाजित है। मुख्य मंदिर परिसर ठीक बीचोंबीच यानी केंद्र में स्थित है। इस 141फीट उच्च संरचना में 234 शानदार नक्काशीदार खंभे, 9 अलंकृत गुंबदों, 20 शिखर , एक भव्य गजेंद्र (पत्थर हाथियों की कुर्सी) 20,000 मूर्तियां शामिल हैं । साथ ही यहाँ दिव्य व्यक्तित्व, ऋषियों, भक्तों और संतों की प्रतिमाओं को भी बनाया गया है। ये मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के मिश्रण से बनाया गया है, इस मंदिर में गौर करने वाली बात ये है की इस मंदिर के निर्माण के दौरान मंदिर के किसी भी भाग में इस्पात (स्टील) और कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

इस मंदिर में एक हॉल ऑफ वेल्यू या सहजनद प्रदर्शन भी है जो एनिमेटेड रोबोटिक्स और का उपयोग कर स्वामीनारायण के जीवन से जुडी घटनाओं को दर्शाता है। इन घटनाओं से हमें शांति, सद्भाव का सन्देश मिलता है साथ ही ये घटनाएं हमें विनम्रता, दूसरों के लिए और सर्वशक्तिमान से भक्ति करने के लिए भी प्रेरित करती हैं।

नीलकंठ कल्याण यात्रा है यहां विशाल स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली फिल्म है जो इस मंदिर परिसर का एक अन्य आकर्षण है। यहाँ दिखाई जाने वाली फिल्में दर्शकों को विभिन्न धार्मिक स्थानों, उनकी संस्कृति, त्यौहार, आदि से रु–ब–रु कराती हैं।

यहाँ आने वाले पर्यटक नाव की सवारी ले सकते हैं जो इस यात्रा के दौरान आपको कई सारी महत्त्वपूर्ण जानकारियों से भी अवगत कराया जायगा।

याज्ञनापुरुष कुंड में स्थित संगीतमय फव्वारा परिसर का एक और प्रमुख आकर्षण है. यह एक वैदिक यज्ञ कुंड और एक संगीतमय फव्वारा यहां का एक दुर्लभ संयोग है। कुंड या स्टेप्वेल दुनिया का सबसे बड़ा स्टेप्वेल है, शाम में यहां पर संगीतमय फव्वारा चलाया जाता है साथ ही यहां भारत में गणित के उन्नत ज्ञान को परिभाषित एक आठ पंखुड़ियों वाला कमल भी है।

भारत उपवन या ष्भारत का गार्डनष एक विशाल रसीला उद्यान है जो बच्चों की पीतल की मूर्तियां, महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रख्यात हस्तियों और भारत की उल्लेखनीय आंकड़े के साथ तैयार है।

परिसर के अन्य आकर्षणों में योगी हृदय कमल, नीलकंठ अभिषेक , नारायण सरोवर, प्रेमवती अहर्ग्रून और आर्श केन्द्र शामिल हैं।

यदि आप दिल्ली में हैं तो इस मंदिर का दौर अवश्य करिए यहाँ देखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा।

दैवीय सम्बंध

सत्येंद्र श्रीवास्तव

(DIVINE CONNECT)

मानव शरीर पंचतत्व से मिलकर बना है। जिसमें जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि शरीर को हमारी आत्मा चलाती है। माध्यम मन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा पर दैवीय शक्तियों का प्रभाव रहता है। दैवीय सम्बंध हमारे विश्वास, विचार, भावना, आदत और संस्कार पर अपना प्रभाव डालती है। ईश्वर की पूजा और गुरु की सेवा भी बिना भावना और विश्वास के नहीं हो सकती है। अगर हमें अपनी आदत, विचार, भावना, संस्कार बदलना हो तो हमें दैवीय सम्पर्क में जाना ही होगा। जो कि ध्यान, पूजा, अभिषेक सेवा द्वारा प्राप्त की जा सकती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर हम अपनी सोच बदल दें तो हमारे कर्म बदल जाते हैं। कर्म के बदलते ही हमारा भाग्य बदल जाता है। दैवीय संबंध (सम्पर्क) में आने के बाद कुछ ही समय में हमारी सोच बदलने लगती है। हमारा भारत देश पिछले कई सदियों से इसका प्रमाण देश विदेश में दे चुका है। जिसमें स्वामी विवेकानंद, महर्षि महेश योगी, दयानंद सरस्वती, प्रभुपाद जी और वर्तमान में श्रीश्री रविशंकर जी, मां निर्मला देवी, ब्रह्माकुमारी आदि इस श्रेणी में आते हैं। हमारी संस्था (लोक जागृति) ने यह संकल्प लिया है कि यह दैवीय संबंध का प्रचार प्रसार करेगी और हमारी संस्कृति से लोगों को अवगत कराएगी। जो भी व्यक्ति/संस्था आगे आना चाहती है तो divineconnect2016@gmail.com पर हमसे सम्पर्क कर सकती है।

FIR में नाम न होने पर भी समन किया जा सकता है'

एफआईआर में नाम न हो, तो भी ट्रायल कोर्ट बतौर आरोपी किसी को समन जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संभव हो सकता है कि एफआईआर में घटना की पूरी जानक. ारी न हो और एफआईआर में सभी आरोपियों के नाम न हों, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ट्रायल कर रही अदालत नए आरोपी को समन न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर इकनॉमिक ऑफेंस वाले मामले या साजिश के मामले में कई तथ्य बाद में सामने आते हैं। ऐसे मामले में चश्मदीद गवाह नहीं होते और यही कारण है कि जब मामले की जांच होती है तो बाद में कई तथ्य सामने आते हैं और नए आरोपियों के नाम भी सामने आते हैं। यूपी के अमरोहा जिले की ब्लॉक चीफ महिला ने सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने महिला के नाम समन जारी किया था, जिसे उन्होंने चुनौती दी थी। महिला की अर्जी में कहा गया था कि मनरेगा के तहत मिलने वाले फंड की अनियमितता के मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें उनका नाम नहीं था लेकिन चीफ जूडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उन्हें बतौर आरोपी समन जारी किया है। महिला पर 49 लाख रुपये की अनियमितता का आरोप है। महिला का कहना था कि न तो एफआईआर में बतौर आरोपी उनका नाम है और न ही पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें उनका नाम है। लेकिन जब मामले में ट्रायल शुरू हुआ, उसके बाद गवाहों के बयान दर्ज किए गए और उक्त बयान के आधार पर उन्हें ट्रायल कोर्ट ने बतौर आरोपी समन जारी किया।

साख पर बेवजह सवाल उठाना उसकी हत्या से भी बड़ा पाप है

नीरज बंसल

एक राजा ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर ब्राह्मण–भोज का आयोजन किया। जिस समय रसोई में व्यंजन बन रहे थे और साथ के आंगन में धीमी आंच पर केसर वाली खीर पक रही थी, एक चील ऊपर से गुजरी। उसकी चोंच में एक सांप दबा था। सांप के मुंह से विष की बूंदें निकलीं और पतीले में पक रही खीर में जा गिरीं। रसोइये को इसकी भनक तक न लगी। ब्राह्मणों को आदर–सत्कार के साथ भोजन कराया गया। खीर खाने के कुछ ही क्षण के बाद ब्राह्मण एक–एक कर ढेर हो गए। मृत्युलोक में बैठे चित्रगुप्त और यमराज यह सब देख रहे थे। चित्रगुप्त ने यमराज से सवाल किया,'महाराज, आपके विचार से इन ब्राह्मणों की मृत्यु के लिए कौन दोषी हैध् यमराज असमंजस में पड़ गए। भला किसे दोष देंध् राजा ने भक्तिभाव से ब्राह्मणों को भोज कराया। रसोइयों ने भोजन बनाने में कोई कमी नहीं रहने दी। चील ने भूख शांत करने के लिए सांप का शिकार किया। छटपटाते सांप के मुंह से विष गिरने पर भला किसका वश था! यमराज ने बात टाल दी। इस घटना के एक साल बाद पड़ोसी राज्य के कुछ ब्राह्मण उस राजा के महल के पास से गुजरे। वे भूखे और थके हुए थे। दान–पुण्य को लेकर राजा की ख्याति से वे परिचित थे। उनमें से एक ने कहा,'चलो, आज हम भी राज. महल के आतिथ्य का सुख भोगते हैं।' तभी वहां से एक स्त्री गुजरी। उस ब्राह्मण की बात सुन वह तुरंत बोली,'यह गलती न करें। शायद आपने सुना नहीं, पिछले साल राजा ने भोजन में विष मिलवा कर कई ब्राह्मणों की एक साथ हत्या कर दी थी।' यह सुनते ही मृत्युलोक में बैठे यमराज के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने चित्रगुप्त को आदेश दिया,'उन ब्राह्मणों की हत्या का दोष इस स्त्री के लेखे–जोखे में लिख दो।' चित्रगुप्त हक्के–बक्के रह गए। उनकी शंका को शांत करते हुए यमराज बोले,' उस दिन जो कुछ घटा, वह बस एक दुर्घटना थी, जिसमें किसी का दोष न था। लेकिन बिना सच जाने, जिस प्रकार इस स्त्री ने फैसला सुनाते हुए राजा पर दोष मढ़ा, इस कारण इस प्रकरण में वही सबसे बड़ी पापिन है। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए।' जीवन में कई बार हम सच को जाने–समझे बिना, सुनी–सुनाई बातों पर लोगों को दोषी ठहरा देते हैं! क्या ऐसा करना उचित हैध् सच जैसा दिखता है, वैसा ही नहीं होता। उसके कई पहलू होते हैं जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देते। हम प्रायः एक पहलू को पकड़ लेते हैं। कोई भी धारणा कभी अंतिम नहीं हो सकती। जीवन का सच्चा सुख नॉन–जजमेंटल बने रहने में ही है, वरना पता नहीं कब हम किसी बेकसूर को गुनहगार बना दें! किसी की साख पर बेवजह सवाल उठाना उसकी हत्या करने से भी बड़ा पाप है!

रेकी–स्पर्श द्वारा नवजीवन

एक अद्भुत प्राणदायी उपचारात्मक ऊर्जा

डा. एन.के. शर्मा

हमारे भीतर है अनेक चमत्कारिक शक्तियाँ : परमात्मा ने हमारे भीतर ऐसी–ऐसी अद्भुत शक्तियाँ और क्षमताएँ भरी हैं कि मांगने योग्य उसने कुछ भी नहीं रखा। उसने सम्पूर्ण कृपा सहित संसार में भेज दिया है अब तो जो कृपा करनी है वह अपने आप पर करनी है इन्हीं क्षमताओं को, शक्तियों को पहचानने के लिए, जिसको पहचानकर हम उपयोग करना सीख जाएँ तो हम कभी अपने जीवन में असहायपन महसूस नहीं कर पाएँगें। ना हमें किसी ज्योतिषी, तांत्रिक, पंडित या गुरूओं के पीछे भागना पड़ेगा, न भगवान के दरबार में आवाजें लगानी पड़ेगी क्योंकि इन शक्तियों को जानने के बाद आपको निश्चित ही यह आत्मबल मिल जाएगा कि मैं अपने जीवन में जो चाहे स्वप्न साकार कर सकता हूँ एवं जो भी चाहे समस्या हो मैं स्वयं ही सुलझा सकता हूँ क्योंकि मैं सर्वशक्ति सम्पन्न हूँ। रेकी भी इन्हीं शक्तियों में एक अद्भुत, चमत्कारिक उपचारात्मक मानवीय क्षमता है।

'रेकी' – एक सर्वव्यापी प्राण ऊर्जा : रेकी एक जापानी शब्द है 'रे' का अर्थ सर्वव्यापक (यूनिवर्सल) तथा 'की' का अर्थ है प्राण ऊर्जा, जीवनी शक्ति। यह एक ऐसी उपचारात्मक प्राण ऊर्जा है जो हमारे शरीर के आभामंडल एवं चक्रों के माध्यम से हमारे हाथों द्वारा प्रवाहित होती है अपने हाथों से स्पर्श कर हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, खान–पान, पेड़–पौधे, जीव–जंतु को एक प्रबल नवजीवन देने वाली प्राण ऊर्जा प्रवाहित कर उसे ऊर्जान्वित कर सकते हैं। ईश्वर प्रदत्त यह प्राकृतिक ऐसी उपचारात्मक शक्ति जब किसी व्यक्ति या वस्तुओं में प्रवाहित होती है तो उसके अणु–अणु को सक्रिय कर उसमें एक प्रबल ऊर्जा का संचार कर, जीवनी शक्ति का विकास करती है और उस अंग की कार्यक्षमता को बढ़ा कर वहाँ का अवरोध हटाती है, रक्त संचालन तेज करती है और नवनिर्माण कर स्वास्थ्य एवं संतुलन स्थापित करती है जिसके कारण रेकी हरेक रोगों में ;सर्दी–जुकाम से लेकर कैंसर और महामारक रोगों मेंद्ध किसी न किसी रूप में निश्चित लाभ देती ही है।

इमरजेन्सी में रेकी का जवाब नहीं! : रेकी में असफलता जैसा शब्द नहीं है क्योंकि रेकी ऊर्जा एक प्राण ऊर्जा की चिंगारी है और शरीर में यदि एक भी बूंद तेल ;सकारात्मकताद्ध बचा है तो रेकी रूपी चिंगारी उसको प्रज्जवलित कर जितनी देर का लाभ देना है वह अवश्य देगी। इसलिए रेकी मरते हुए आदमी को भी चार श्वांस ज्यादा दे सकती है। रेकी सिर्फ महामारक रोगों में ही लाभ नहीं देती बल्कि इमरजेन्सी में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि एक बार एलोपैथिक चिकित्सा असहाय हो सकती है, रेकी नहीं क्योंकि रेकी सीधे हमारे प्राण शरीर या सूक्ष्म शरीर पर सीधे काम करती है ;अगर वह थोड़ा भी भीतर बचा है तो?। अगर कोई गिर जाए और चोट लग जाए तो सामान्यतया वह दर्द एक सप्ताह तक कष्ट देता है परन्तु रेकी चन्द मिनटों में स्पर्श करते ही प्रायः पूरा आराम दे देती है। अगर ज्यादा ही कष्ट होगा तो दो से चार बार उपचार करने पर निश्चित रूप से पूरा आराम देती है। अगर कोई गर्म चीज शरीर पर गिर जाए और हम उस स्थान पर तुरन्त रेकी कर दें और जब तक स्पर्श जारी रखे जब तक ऊर्जा का प्रवाह वहाँ जारी है तो आप हैरान हो जाएँगें कि वहाँ पर न तो लालिमा मिलेगी और न ही कोई फफ़ोला। अगर परिवार में किसी को हार्ट अटैक आ जाए और अगर उसको तुरन्त रेकी उपलब्ध हो जाए तो वह व्यक्ति मर नहीं सकता क्योंकि मृत्यु का कारण जीवनी शक्ति का अभाव है और रेकी तुरन्त जीवनी शक्ति प्रवाहित कर भीतरी क्षमताओं को सक्रिय करने वाली शक्ति है। रेकी में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं कि ऐलोपैथिक डॉक्टरों ने जब मृत घोषित कर दिया तो स्वयं मेडीकल डॉक्टरों ने ही रेकी स्पर्श का उपयोग कर प्रायः मृत व्यक्ति को चंद मिनटों में पुनर्जीवन दिया है। डॉ. योगेश आचार्य मुम्बई के पास स्थित कल्याण शहर में एक बाल विशेषज्ञ ऐलोपैथिक सर्जन हैं। उन्होंने अपने ही अस्पताल में प्रायः मृत घोषित किए गए 8 साल के बच्चे पर रेकी का प्रयोग कर उसे नवजीवन प्रदान किया है। यह घटना 12 जून 2009 की है और **www.reikihealing-foundation.net** पर पढ़ी जा सकती है। सत्य तो यह है कि अधिकतर मृत्यु में पूर्ण मृत्यु नहीं होती बल्कि मृत्यु जैसी अवस्था होती है। इसलिए इस तरह के केस में रेकी जैसे प्रबल प्राण ऊर्जा मिल जाने से मरणासन्न व्यक्ति का उठ बैठना आश्चर्य जनक नहीं है।

वंशानुगत एवं जन्मजात रोगों में आश्चर्यजनक लाभ : रेकी उपचार के साधकों ने अनेक ऐसे कोमा में गए हुए रोगियों को बाहर निकाला है जिसके सामान्य होने की आशा डॉक्टरों ने छोड़ दी थी, रेकी वंशानुगत एवं जन्मजात असाध्य कहे जाने वाले रोगों में भी आश्चर्यजनक परिणाम लाती है जैसे स्पास्टिक बच्चे, उग्र बच्चे, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रेलपाल्सी, मिर्गी, लकवा,

मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फाइब्रोमाइलजिया, थेलेसेमिया आदि असाध्य एवं महामारक कहलाने वाले रोगों में भी रेकी ने पूर्ण नहीं तो आंशिक लाभ तो अवश्य पहुँचाया है ऐसे अनेकों आश्चर्यचकित करने वाले उदाहरण हम उपरोक्त वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और फोन के माध्यम से अपने आपको आश्वस्त कर सकते हैं। ऐसी बीमारियों में अधिकतर स्वयं माता–पिता या रिश्तेदार स्वयं रेकी सीखकर अपने आप पर प्रयोग कर ठीक हो जाते हैं या अपने परिवार के सदस्य को ठीक कर देते हैं।

विश्व के अनेक अस्पतालों में रेकी का उपयोग : रेकी की सबसे बड़ी अनोखी और अद्वितीय खूबी ही यही है कि इसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है चाहे वह बालक हो, बूढ़ा हो, अनपढ़ हो, मजदूर हो, अमीर हो। जैसे हर व्यक्ति आँख से देख सकता है, कान से सुन सकता है वैसे ही रेकी भी हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति ;योग्य–अयोग्यद्ध में विद्यमान होती है जिसको सभी प्रयोग कर स्वयं को, दूसरों को या समाज में पीड़ित लोगों को रोगमुक्ति और स्वास्थ्य लाभ पहुँचा सकते हैं। रेकी आज विश्वभर में करोड़ों लोग सीख चुके हैं। गुग्गल्स पर लाखों वेबसाइटों की भरमार है, विश्व के सैकड़ों अस्पतालों में इसका वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में उपयोग हो रहा है। नर्सें विशेष तौर पर प्रशिक्षित की जा रही है। अब तो भारत में भी रेकी को अनेक अस्पतालों में प्रयोग किया जा रहा है। विश्व की विशाल संस्था 'रेकी हीलिंग फाउन्डेशन', नई दिल्ली के चेयरमैन डॉ. एन. के. शर्मा कहते हैं कि हमारे अपने ही कार्यशाला में अब तक करीब 3000 से भी अधिक M.D. डॉक्टर एवं सर्जन रेकी सीख चुके हैं और 250 से अधिक डॉक्टर स्वयं रेकी के आचार्य हैं और दूसरों को रेकी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। रेकी के ऊपर कई तरह की विश्व भर में रिसर्च एवं अनुसंधन हो रहे हैं। रेकी एंड मेडिकल रिसर्च, रेकी इन हॉस्पीटल्स, रेकी एंड मेडिसियन्स, रेकी एंड साइटिंफिक एक्सपेरिमेंट जैसे शब्दों से गुगल में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रभाव के विश्वभर में अनुसंधन हो रहे हैं। हमारे आभामंडल, विचार, चक्र, भावनाओं को औरा कैमरा एवं अति आधुनिक इलैक्ट्रोनिक यंत्रों के माध्यम से बखूबी वैज्ञानिक आधार पर किया जा सकता है।

रेकी आचार्य एक नए युग का कैरियरः रेकी आचार्य एक नए युग का कैरियर बन चुका है। युवा वर्ग भी अब रेकी आचार्य बनकर आर्थिक एवं आध्यात्मिक ऊँचाईयों को छू रहे हैं। आजकल अस्पतालों में, हैल्थ रिजोर्ट, स्पा, हैल्थ क्लब, ब्यूटी पार्लर, प्राकृतिक उपचार केन्द्रों में रेकी आचार्यों की सेवा ली जा रही है। विश्व में इस वक्त करीब–करीब 5 लाख रेकी आचार्य सक्रिय हैं।

रेकी का प्रयोग केवल सजीव–निर्जीव तक ही सीमित नहीं है। इसके प्रयोगों के माध्यम से हमारी अनेक आंतरिक शक्तियों का विकास होता है जैसे टेलीपैथी, अन्तःप्रेरणा, अन्तर्दृष्टि, आभामंडल एवं चक्रों का विकास, कुंडलिनी शक्ति का जागरण, अतीन्द्रिय क्षमताएँ इत्यादि। जो भी इसका ईमानदारी से प्रयोग करता है उसको इन शक्तियों के जागरण का चमत्कारिक लाभ मिलता है।

रेकी द्वारा प्रभावशाली दूर उपचार (Distance Healing) रेकी के माध्यम से हम दूर उपचार भी कर सकते हैं। रेकी में समय और स्थान ;टाईम एंड स्पेसद्ध की सीमाओं का कोई महत्व नहीं है। जितना रेकी वर्तमान मे सीधे स्पर्श करने से प्रभावशाली ढ़ंग से प्रवाहित होकर लाभ देती है उतना ही शत–प्रतिशत लाभ वह दूर उपचार में भी देती है। आप यहाँ बैठकर लंदन–अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को तुरन्त दर्द में आराम दे सकते हैं और नियमित उपचार कर उसको बड़े–बड़े शारी. रिक एवं मानसिक रोगों से मुक्त कर स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य लाभ ही नहीं बल्कि उनके नकारात्मक मन में या परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। संबंधों में सकारात्मक सुधार ला सकते हैं। व्यवसाय, कैरियर एवं मनोकामनाओं में आनेवाली बाधाओं का रेकी की सकारात्मक उपचार की शक्ति से हटाकर मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्माण्ड में किसी भी तरंग के साथ जुड़कर जो चाहे स्वप्न, इच्छाएँ और उद्देश्यों को सफल कर सकते हैं। ये ऐसा सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान है कि पूर्वजन्मों के कार्मिक बंधन, दोष, श्राप को भी उपचार कर नष्ट किया जा सकता है। भविष्य में आने वाले समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। ये ऊर्जाओं के साथ खेलने का ऐसा विज्ञान है कि हम जीवन भर एक्सीडेंट, ग्रहों के प्रभाव, तांत्रिक शक्तियों, रेडिएशन जेसे नकारात्मक तरंगों से बचे रहकर सुरक्षित जीवन जी सकते हैं, इसके निरंतर उपयोग से आत्मज्ञान और परमात्मा से भी जुड सकते हैं। ऐसे अनगिनत लाभों का विज्ञान का नाम है रेकी।

रेकी आत्म रूपांतरण एवं सम्पूर्ण विश्व रूपांतरण की चाबी : इतनी सरल, किफायती, 24 घंटे, कहीं भी, कभी भी और किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली रेकी एकमात्रा उपचार शक्ति है जो दवा, रोग एवं डॉक्टरों से हमें मुक्त रख सकती है। रेकी में सिर्फ आत्म रूपांतरण ही नहीं सम्पूर्ण विश्व के रूपांतरण की चाबी छुपी हुई है। आज के तनाव भरे व्यवसाय, प्रनेफेशन, कॉरपोरेट जगत में हम इसका उपयोग कर हम अपनी रचनात्मकता का विकास कर, समृ(, शान्ति एवं स्वास्थ्य पैदा कर सकते हैं।

रेकी पाँच स्तरों में सीखी जाती है (1) प्रथम स्तर – बेसिकद्ध – जिसमें हम अपना एवं दूसरों का स्पर्श द्वारा उपचार करते हैं,

(2) द्वितीय स्तर – परामानसिक शक्तियों के व्यवहारिक प्रयोग,

(3) तृतीय स्तर ;मास्टर उपचारकद्ध,

(4) चतुर्थ स्तर (रेकी आचार्य) – मास्टर उपचारक को प्रशिक्षण देना

(5) पंचम स्तर (ग्रैंड मास्टर) – रेकी मास्टर ;आचार्य बनानाद्ध। भारत में यूँ तो हमारे रेकी आचार्य रेकी का प्रशिक्षण दे रहे हैं, परन्तु विश्व स्तर पर भारत की एकमात्रा विशाल संस्था रेकी हीलिंग फाउन्डेशन, नई दिल्ली में स्थापित है जिसके संस्थापक विश्व विख्यात रेकी ग्रैंड मास्टर दम्पति डॉ. एन. के. शर्मा एवं डॉ. सविता शर्मा हैं।

जब आप कुछ गंवा बैठते हैं तो उससे प्राप्त शिक्षा को न गवाएं।

सकारात्मक सोच, सकारात्मक संवाद

कपिल सिंघल

वहीं निराशा तथा नकारात्मक संवाद व्यक्ति को अवसाद में ले जाते हैं क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं, इस बात का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसीलिए अक्सर निराशा के क्षणों में मनोवैज्ञानिक भी सकारात्मक संवाद एवं सकारात्मक कहानियों को पढने की सलाह देते हैं। हमारे सकारात्मक विचार ही मन में उपजे निराशा के अंधकार को दूर करके आशाओं के द्वार खोलते हैं।

स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, "हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिये कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौंण हैं, विचार दूर तक यात्रा करते हैं।"

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, गरीब मछुआरे के बेटे थे। बचपन में अखबार बेचा करते थे। आर्थिक कठनाईयों के बावजूद वे पढाई करते रहे। सकारात्मक विचारों के कारण ही उन्होने भारत की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक सफलताएं हासिल कीं। अपने आशावदी विचारों से वे आज भारत में ही नही बल्कि पूरे विश्व में वंदनीय हैं। उन्हे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में ही नही अपितु पूरे विश्व में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होने विपरीत परिस्थिति में भी अपनी सकारत्मक वैचारिक शक्ति से इतिहास रचा है।

20वीं सदी के महानतम राजनेताओं में से एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल बचपन में हकलाते थे, जिसके कारण उनके सहपाठी उन्हे बहुत चिढाया करते थे। अपनी हकलाहट के बावजूद चर्चिल ने बचपन में ही सकारत्मक विचारों को अपनाया और मन में प्रण किया कि, मैं एक दिन अच्छा वक्ता बनुंगा। उनके आशावादी विचारों ने विपरीत परिस्थिति में भी उन्हे कामयाबी की ओर अग्रसर किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन को एक साहसी अनुभवी और सैन्य पृष्ठभूमि वाले प्रधानमंत्री की जरूरत थी। विस्टन चर्चिल को उस समय इस पद के लिये योग्य माना गया। राजनीति के अलावा उनका साहित्य में भी योगदान रहा। इतिहास, राजनीति और सैन्य अभियानों पर लिखी उनकी किताबों की वजह से उन्हे 1953 में साहित्य का नोब. ल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये सब उपलब्धिया उनके सकारत्मक विचारों का ही परिणाम है।

कई बार हम सबने क्रिकेटरों को कहते सुना होगा कि एक दो चौका पड जाने से विपक्ष का मनोबल टूट गया जिससे वे गलत बॉलिंग करने लगे और मैच हार गये। वहीं कुछ खिलाडियों के साथ ये भी देखने को मिलता है कि वे

पुरे सकारात्मक विचारों से खेलते हैं परिस्थिती भले ही विपरीत हो तब भी, जिसका परिणाम ये होता है कि वे हारी बाजी भी जीत जाते हैं। सकारात्मक विचार की शक्ति से तो बिस्तर पर पडे रोगी में भी ऊर्जा का संचार होता है और वे पुनः अपना जीवन सामान्य तौर से शुरु कर पाता है। हमें अपने मस्तिष्क को महान विचारों से भर लेना चाहिए तभी हम महान कार्य संपादित कर सकते हैं। जैसे कि हम सोचे, मै ऊर्जा से भरपूर हूँ, आज का दिन अच्छा है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ क्योकि विचार शैली विषम या प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनोबल को ऊँचा रखती है। सकारात्मक व्यक्ति सदैव दूसरे में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अक्सर देखा जाता है कि, हममें से कई लोग चाहे वो विद्यार्थी हों या नौकरीपेशा या अन्य क्षेत्र से हों काम या पढाई की अधिकता को देखकर कहने लगते हैं कि ये हमसे नहीं होगा या मैं ये नही कर सकता। यही नकारात्मक विचार उन्हे आगे बढने से रोकते हैं। यदि हम ना की जगह ये कहें कि हम कोशिश करते हैं हम ये कर सकते हैं तो परिस्थिति सकारात्मक संदेश का वातावरण निर्मित करती है। जिस तरह हम जब रास्ते में चलते हैं तो पत्थर या काटों पर पैर नही रखते उससे बचकर निकल जाते हैं उसी प्रकार हमें अपने नकारत्मक विचारों से भी बचना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार एक पेड से माचिस की लाख से भी ज्यादा तीलियाँ बनती है किन्तु लाख पेड को जलाने के लिए सिर्फ एक तीली ही काफी होती है। उसी प्रकार एक नकारात्मक विचार हमारे हजारों सपनो को जला सकता है।

हमारे विचार तो, उस रंगीन चश्में की तरह हैं जिसे पहन कर हर चीज उसी रंग में दिखाई देती है। यदि हम सकारात्मक विचारों का चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ संभव होता नजर आयेगा। भारत की आजादी, विज्ञान की नित नई खोज सकारात्मक विचारों का ही परिणाम है। आज हमारा देश भारत विकासशील से बढकर विक. सित राष्ट्र की श्रेणीं में जा रहा है। ये सब सकारात्मक विचारों से ही संभव हो रहा है। अतः हम अपने सपनो और लक्ष्यों को सकारत्मक विचारों से सिचेंगे तो सफलता की फसल अवश्य लहलहायेगी। बस, केवल हमें सकारात्मक विचारों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा।

स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि, "मन में अच्छे विचार लायें। उसी विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनायें। हमेशा उसी के बारे में सोचे, सपने देखें। यहाँ तक की उसके लिए हर क्षणं जिएं। आप पायेंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है।" मित्रों, यदि हम ये सोचें कि, हम कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं, चाहे वो हमारी सोच हो या जीवन या हमारे सपने सब सच हो सकते हैं। हम इस अंनत ब्रह्माण्ड की तरह अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। तो ऐसे सकारात्मक विचारा. ं को जीवन में अपनाने से हमारे जीवन में सार्थक और सफल परिवर्तन संभव हो सकेगा।

हम ये नहीं समझते कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास से ही आता है।

विशेष

दिल्ली की अदालतें

अरुण रॉय

प्रांरम्भ में दिल्ली की जिला अदालतें श्रीमती फोर्सटर के घर पर लगती थी, जहां केवल आठ अदालतों को ही स्थान मुहैया कराया गया था। 1899 में एच–अब्दुल रहमान अताउल रहमान बिल्डिंग में कुछ और कमरे किराये पर लिए गए। 1949 में कश्मीरी गेट स्थित पुरानी इमारत को असुरक्षित घोषित कर दिया गया। 1953 में 22 अधिनस्थ दिवानी न्यायालयों को १, स्कीनर्स हाउस स्थित हिंदू कॉलेज की इमारत तथा कश्मीरी गेट में स्थानांतरित कर दिया गया। यह अदालतें 31 मार्च 1958 तक इसी इमारत में चलाई जाती रही।

तीस हजारी न्यायालय भवन का निर्माण कार्य सन् 1953 में आरंभ हुआ। उस समय इसे बनाने में लगभग 85 लाख रूपए का खर्च आया था। 19.03.1958 को इस भवन का उद्घाटन पंजाब उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए.एन. भंडारी ने किया और इसके बाद सभी दीवानी न्यायलय तथा बहुत से दंड न्यायालय इस भवन में स्थाई रूप से स्थानांतरित कर दिए गए। यद्यपि आज भी तीस हजारी दिल्ली का मुख्य न्यायालय भवन है।

भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा दिनांक 17.09.1912 को जारी की गई प्रोकलेमेशन संख्या 911 के अन्तर्गत दिल्ली को विशेष वैधानिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। इस नोटिफिकेशन के द्वारा दिल्ली पर भारत के गवर्नर जनरल का प्रत्यक्ष प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा इसके प्रबंधन का उतरदायित्व भी गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मि. विलियम मैलकोम हैले, सी.आई.ई., आई.सी.एस. को दिल्ली का पहला आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके साथ ही साथ दिल्ली में स्थापित कानूनों को लागू करने के लिए दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 का निर्माण किया गया।

दिनांक 22.02.1915 को यमुना के दूसरी तरफ का क्षेत्र (जिसे आज यमुना पार के नाम से जाना जाता है) को भी दिल्ली के नए सीमा क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया। दीवानी न्यायालय सन् 1913 में दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था का आकार इस प्रकार थाः

1 जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
1 वरिष्ठ उप–न्यायाधीश।
1 न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय।
1 रजिस्ट्रार, लघुवाद न्यायालय
3 उप–न्यायाधीश।

सन् 1920 में इस संख्या में दो और उप–न्यायाधीशों की अदालतों को शामिल किया गया। न्यायाधीशों की इस निर्धारित संख्या के साथ दिल्ली के न्यायालय लगातार अपना कार्य करते रहे तथा समय –समय पर अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए कुछ अस्थाई उपाय भी अपनाए गए। सन् 1948 में किराया नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए उप–न्यायधीश के एक और पद का सृजन किया गया। इसके बाद 1953 में उप–न्यायाधीशों के छह अन्य अस्थाई न्यायालयों की स्थापना की गई। 1959 में उप–न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। इस समय तक दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था में एक जिला एंव सत्र न्यायाधीश तथा चार अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की सथापना से पूर्व सन् 1966 तक दिल्ली के जिला एंव सत्र न्यायाधीश पंजाब उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत थे।

फौजदारी न्यायालय

दिल्ली जिला राजपत्र (1912) के अनुसार, अपराधिक न्याय के प्रशासन का पूरा उत्तरदायित्व जिला मैजिस्ट्रेट के ऊपर था। मुख्य दण्डाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक होने के नाते वह उसका कार्य अपराध से निपटना था। सन् 1910 में फौजदारी न्यायालय में पदासीन न्यायिक अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार थीः–

इनमें से एक प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट को जिला मैजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त थी जिसके आधार पर वह गंभीर मुकदमों की सुनवाई करता था। इस व्यवस्था के द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट तथा अन्य निम्न श्रेणी न्यायाधीश अवांछनिय दबाव से मुक्त हो जाते थे इस व्यवस्था के अन्तर्गत सभी अवैतनिक मैजिस्ट्रेट होते थे, परन्तु दो को विशेष तौर पर दिल्ली में नियुक्त किया गया था, जहाँ वे पीठ बनाकर शहर में होने वाले छोटे–मोटे मुकदमों मुख्य रुप से हमलों की सुनवाई करते थे।

इनमें से एक पीठ की स्थापना 1912 में रायसीना (नई दिल्ली) के लिए की गई थी जो साम्राज्यिक दिल्ली नगर समिति के सत्ता क्षेत्र के अन्तर्गत मुकदमों की सुनवाई करती थी। इस पीठ में एक हिंदू तथा एक मुसलमान मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था जिन्हें द्वितीय श्रेणी की शक्तियाँ प्राप्त थी। जिनकी दिल्ली नगर समिति के क्षेत्र तक ही शक्तियां सीमित थी। 1921 में एक नजफगढ़ पीठ की स्थापना हुई इसमें दो मैजिस्ट्रेट होते थे जिन्हें तृतीय श्रेणी की शक्तियां प्राप्त थी, जिन्हे वे अपने प्रान्त के भीतर प्रयोग कर सकते थे।

जागों रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंचो।

दर–बदर भटकती जिंदगी

संतोष कुमार

दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वासियों को शहर से दूर धकेलने का सिलसिला दशकों से जारी है। हांलाकि पुनर्वास के समय इन कमजोर लोगों को नियोजित बस्तियों में बसाने का वादा किया जाता है, लेकिन सालों तक उन स्थानों पर जहां मूल स्थान से दरबदर कर इन्हें बसाया जाता है, किसी भी तरह का नियोजन नहीं होत। सालों तक इन स्थानो का विकास सरकार द्वारा प्रस्तुत नियोजन निती के विपरीत होता है और यहां पर रहने वाले लोगों का जीवन कठीन से कठीन होता. जाता है।

एक अनुमान के मुताबिक आजादी के बाद से अब तक लगभग 55 झुग्गी–झोपड़ी पुनर्वास कॉलोनियां वजूद में आई हैं। इन 55 झुग्गी झोपड़ियों में शहर भर की झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों से लोगों को लाकर बसाया गया। इस प्रक्रिया में विस्थापित बस्तियों का सामुदायिक ताना–बाना टूट गया और निवासियों को अपने रोजगार के स्थान से दूर जाना पड़ा । इस प्रक्रिया से उनके जीवन में पैदा हुए असुंतलन के बदले न उन्हें बेहतर सुविधाएं मिली, न ही अपने घरों पर सुरक्षित मालिकाना हक। हालांकि ये निवासी औपचारिक तौर पर ऐसी जगहों से हटा लिए गए हैं जिन्हें 'अतिक्रमण' के रूप में देखा जाता हैय इसके बावजूद जिन हालातों में निवासी इस पुनर्वास कॉलनियों में रहते हैं, उनमें बुनियादी सुविधाओं का स्तर काफी खराब हैं और निवासियों के संपत्ति–अधिकार बेहद सीमित हैं। कानूनी तौर पर यह भी अनिश्चित है कि इन निवासियों को भविष्य में दोबारा विस्थापित नहीं किया जाएगा।

सार्वजनिक जमीन पर बनी झुग्गी–झोपड़ी बस्तियां (जेजेसी) सार्वजनिक जमीन पर बसे वह अनाधिकृत रिहायशी इलाके हैं, जहां आथिर्क रूप से विपन्न इन कमजा. र लोगों को आजादी के बा से खदेड़कर बसाया गया है। इन बस्तियों में लगभग 4.2 लाख परिवार रहते हैं, जो दिल्ली की कुल आबादी का लगभग 15 फीसदी है। शहर में ऐसी नीतियों का एक लम्बा इतिहास है जब झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों को मुख्य शहर से हटाकर शहर के किनारे पर बसाया गया है। ऐसी बहुत सी नीतियों में झुग्गी–झोपड़ी बस्ती निवासियों को 'झुग्गी–झोपड़ी पुनर्वास कॉलोनियों' में प्लॉट देना शामिल रहा है।

भारत की आजादी से लेकर अब तक दिल्ली में झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों को उनके मूल स्थान से हटाकर दूसरी जगह बसाने के तीन मुख्य दौर रहें हैं। पहली बार 1960 के दशक में, उसके बाद 1970 के दशक में और सबसे हालिया साल 2000 के दशक में। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के मुताबिक 1961 और 1977 के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक स्कीम के तहत 44 पुनर्वास कॉलोनियों की स्थापना की। इस स्कीम को बाद में 'ओल्ड प्लान

स्कीम ऑफ जेजे रिसेटेलमेंट' के नाम से जाना गया। इस नीति के पहले नौ सालों में 18 झुग्गी–झोपड़ी पुनर्वास कॉलोनियों की स्थापना की गई। इसके बाद, पांच साल के अंतराल के बाद, डीडीए ने बहुत बड़े स्तर पर पुनर्वास का काम किया, जिसके तहत सिर्फ दो साल में 2,40,000 परिवारों को झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों से हटाकर, इन अनियोजित स्थानों पर धकेल दिया गया। एक सर्वेक्षण के मुताबिक 1977 तक, प्राधिकरण ने 26 अतिरिक्त पुनर्वास कॉलोनियां बना ली थीं, इस तरह कुल कॉलोनियों की संख्या बढ़कर 44 हो गई। हाल के दिनों में दिल्ली में झुग्गी–झोपड़ियों को बड़े स्तर पर खाली कराने और उन्हें दूसरी जगह बसाने की प्रक्रिया, 2010 में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किए गए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हुई। इस दौरान विस्थापित निवासियों को 11 जगहों पर बसाया गया, जो कि ज्यादातर उत्तर, उत्तर–पश्चिम और पश्चिमी दिल्ली में थे। इन नई पुनर्वास कॉलोनियों में सावदा–घेवरा, बवाना, होलम्बी कलां, पप्पन कलां, रोहिणी और नरेला में बनी कॉलोनियां शामिल थीं। इन कॉलोनियों को मिलाकर दिल्ली में पुनर्वास कॉलोनियों की कुल संख्या बढ़कर 55 हो गई। हलांकि इन 55 कॉलोनियों में रह रही आबादी का कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। सबसे व्यापक आंकलन दिल्ली सरकार ने सितम्बर 2013 में उपलब्ध कराया, जिसके अनुसार 1960 और 1970 के दशकों के दौरान हुए विस्थापन के बाद बनी 44 पुनर्वास कॉलोनियों में लगभग 2,50,000 परिवार रहते हैं। इन आंकड़ों में 11 नई कॉलोनियों में रह रहे निवासी शामिल नहीं हैं।

झुग्गी–झोपड़ी बस्ती में रह रहे लोगों के कल्याण के लिए लम्बे समय से काम कर रहे सनील भराला बताते हैं कि आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा इन कॉलोनियों को 'झुग्गी–झोपड़ी पुनर्वास कॉलोनी' कहा जाता है, हालांकि कायदे से इनको नियोजित रिहायशों के रूप ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि इनका स्वरुप तय करने और उसे लागू करने का काम सरकार ही करती है। वह बताते हैं कि पुनर्वास कॉलोनियों को स्पष्ट तौर पर मास्टर प्लान में डेवलपमेंट एरिया के तहत एक ऐसे क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जो रिहायशी उपयोग के लिए हैं। यह कॉलोनियां मास्टर प्लान में पुनर्वास कॉलोनी के लिए निर्धारित नियमों और मानकों के आधार पर तैयार की जाती हैं। और निर्माण के समय वह इन सभी शर्तों को पूरा करती हैं। हालांकि भौगोलिक रूप से ये पुनर्वास कॉलोनियां 'नियोजित' शहर के अंदर हैं, इसके बावजूद दिल्ली सरकार इन पुनर्वास कॉलोनियों को एक अलग श्रेणी मानकर चलती है, जो नियोजित कॉलोनियों से अलग हैं। कुछ हद तक यह जहिर करता है कि सरकार मानती है, कि भले ही यह कॉलोनियां 'नियोजित' हैं, पर इनमें मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था काफी हद तक अनौपचारिक तरीकों से की जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों के निवासी सरकार द्वारा बनाई जाने वाली कॉलोनियों में बसाए जाने के बाद भी आधिकारिक तौर पर अपना जीवन सामाजिक हाशिये पर जीते हैं और अनियोजित शहर के दायरे में ही रहते हैं। **(शेष अगले अंक में)**

शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है।

कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का विभाजन

अक्टूबर 1969 में संघ प्रदेशध्कार्यपालिका व न्यायपालिका का विभाजन अधिनियम 1969 में उल्लेखित प्रावधानों के आधार पर संघ शासित प्रदेश दिल्ली की न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन हो गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत दो तरह के फौजदारी न्यायालयों. पहला सत्र न्यायालय तथा दूसरा–दण्डाधिकारी के न्यायालय. की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही न्यायिक मैजिस्ट्रेटों की भी दो श्रेणियाँ तय कर दी गई। पहली श्रेणी में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट शामिल थे. जबकि दूसरी श्रेणी में कार्यकारी मैजिस्ट्रटों के सभी पद शामिल थे जैसे जिला मैजिस्ट्रेट, उप–खंडीय मैजिस्ट्रेट, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट तथा विशिष्ठ कार्यकारी मैजिस्ट्रेट इत्यादि।

न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के विभाजन से पहले दिल्ली की समस्त न्यायिक प्रणाली जिला मैजिस्ट्रेट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करती थी। नई व्यवस्था के अन्तर्गत न्यायिक मैजिस्ट्रेट के पद पर उच्च न्यायालय का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। अब मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अपनी अधिकतर शक्तियों का प्रयोग दंड संहिता के अंतर्गत करने जो कि इस कानून सहिंता का प्रयोग जिला मैजिस्ट्रेट किया करता था।

विभाजन की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, दंड प्रक्रिया सं. हता 1898 की धारा 5 (1969 के अधिनियम 19 के द्वारा संशोधित) ने सुग. मता के लिए न्यायिक मैजिस्ट्रेट और कार्यकारी मैजिस्ट्रेट के कार्य क्षेत्र का भी स्पष्ट विभाजन कर दिया अब न्यायिक मैजिस्ट्रेट केवल उन मामलों की सुनवाई करते थे जिसमें गवाही का मूल्यांकन किये जाने की बात होती थी या न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी ऐसे फैसले की विधिवत् अभिव्यक्ति करनी होती थी जिसमें किसी दोषी को बिना दण्ड या जुर्माना किए छोड़ दिया जाता था या अनवेषण,जांच–पड़ताल या सुनवाई के दौरान उसे कैद करके बंदीगृह में रखा गया हो, या उसे किसी मामले में किसी दूसरे न्यायलय में भेजने का फैसला लेना हो। परन्तु यदि किसी भी बिंदू पर कोई कार्यवाही प्रशासनिक या कार्यपालिका से जुड़ी होती थी, जैसे लाइसैंस जारी करना, किसी अभियोजन की स्वीकृति देना या उससे वापस लेना इत्यादि कार्य कार्यपालक मैजिस्ट्रेट के कार्यक्षेत्र में आते थे। संक्षेप में कहें तो कार्यपालक मैजिस्ट्रेट का कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की रोकथाम के उपायों को लागू करने से

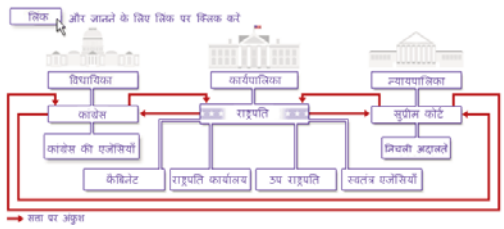

संबंधित था जबकि आई.पी.सी. विशेष तथा साधारण कानूनों की सुनवाई न्यायिक मैजिस्ट्रेट करता था।

नई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 के अधिनियम संख्या 2) एक अप्रैल 1974 से लागू हुई। इस संहिता के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट के पद की दो भिन्न श्रेणियां तय कर दी गई, पहला–न्यायिक मैजिस्ट्रेट तथा दूसरा कार्यपालक मैजिस्ट्रेट। जिस शहर की आबादी दस लाख से अधिक होगी उसे महानगर की संज्ञा दी जा सकती थी। एक अप्रैल 1974 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुच्छेद 8(1) के अन्तर्गत गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारी जारी एक अधिसूचना संख्या 155 दिनां. कित 28 मार्च 1974 के द्वारा दिल्ली को महानगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। जो भारत का गजट (अतिरिक्त) भाग 2, धारा 3 (2) में प्रकाशित हुई थी।

परिमाणतः न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तथा न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी पद समाप्त कर दिया गया। दिल्ली में कार्यरत सभी न्यायिक मैजिस्ट्रेटों को महानगर दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की गई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के अन्तर्गत महानगर दण्डाधिकारियों के न्यायालयों की स्थापना की गई। मुख्य महानगर दण्डाधिकारी (ए.सी.एम.एम.) की स्थापना संहिता को धारा 17 के अन्तर्गत की गई तथा धारा 18 के अन्तर्गत विशेष महानगरीय दण्डाधिकारियों (स्पेशल मैजिस्ट्रेटों) के न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान था। दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत महानगर दण्डाधिकारियों के उपरोक्त पदो के अतिरिक्त गठित पद कार्यपालक मैजिस्ट्रेटों के थे। इन कार्यपालक मैजिस्ट्रेटों को प्रदान की गई शक्तियां महानगर दण्डाधिकारियों की शक्तियों से भिन्न थी। मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी तथा महानगर दण्डाधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ है जबकि कार्यपालक मैजिस्ट्रेटों को जिला मैजिस्ट्रेट के अधीनस्थ रखा गया है।

दिल्ली में तीन तरह के दंड न्यायालय हैं :–

1. महानगर दण्डाधिकारी।
2. मुख्य महानगर दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी।
3. सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश।

दिल्ली का समस्त न्यायिक जिला, जो आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, एक सत्र खंड (सैशन डिविजन) में सिमटा हुआ है। इसका प्रमुख एक सत्र न्यायाधीश है। इसके एक मुख्य महानगर दण्डाधिकारी है तथा चार अतिरिक्त महानगर दण्डाधिकारियों के न्यायालयों की संख्या न्यायिक कार्यभार तथा न्यायालयों को चलाने वाले न्यायाधीशों की संख्या के अनुरूप समय–समय पर बदलती रहती है।

अलग–अलग न्यायिक सेवाएँ

27 अगस्त 1970 को दिल्ली के लिए दो अलग–अलग न्यायिक सेवाओं का सृजन किया गया। इन्हें दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा तथा दिल्ली न्यायिक सेवा के नाम से जाना जाता है। इन दोनो सेवाओं के अन्तर्गत न्यायिक अधिकारियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान समय में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के तहत न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 187 है तथा दिल्ली न्यायिक सेवा के अन्तर्गत न्यायिक अधिकारियों के 283 पद हैं।

जिसने अपने को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते।

''बौद्धिकता की लाचारी''

महेन्द्र कुमार पांडेय (एडवोकेट)

राम चंद्र कह गए सिया से एक दिन कलियुग आएगा, मोर चुनेगा दाना दुनका कौआ मौज उड़ाएगा।

यह कहावत हमारे महान देश भारत वर्ष में पूरी तरह से फिट बैठती है। जो लोग ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से काम करते है और योग्य हैं देश हित में कार्यरत रहते हैं वे हंस की तरह ही दाना, दुनका चुग रहें है, और अपना जीवन यापन किसी तरह से कर रहें है जिसमे किसान गॉवों की भोली–भाली जनता मजदूर इत्यादि लोग है। दूसरी ओर जो लोग फरेवी, घोटाले वाज, भ्रष्टाचारी, देश द्रोही, खुराफाती हैं वे कौओ की तरह से मौज उडा रहें हैं जिसमें नेता, कुछ अधिकारी गण कुछ व्यापारी उद्योगपति इत्यादि हैं। जब देश को लूटने की एक सरकारी नीति हो तो उस देश का भला कैसे हो सकता है, जब मंत्री से लेकर संतरी तक लूट घसोट में शामिल हो तो उस देश को भगवान ही चला सकते हैं।

आप सरकार का कोई भी काम ले लीजिए सब में सभी स्तर पर कमीशन फिक्स है और उसी के हिसाब से कार्य नीचे से ऊपर तक एक सरकारी नीति के हिसाब से चल रहा हैं और ऐसा होने से भ्रष्टाचार के अलावा देश के लोगों का नैतिक पतन भी होता है। और इसका परिणाम बहुत ही खराब होता है। यदि परिवहन मंत्री बस खरीददारी में भ्रष्टाचार करता है तो एक कण्डेक्टर से ईमानदारी की उम्मीद नही की जा सकती। बेईमानी एवं नैतिक पतन हो जाने पर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ कानून बना कर किसी को ईमानदार नही बनाया जा सकता है लेकिन आज के समय में लोगों को भ्रम हो गया है कि कानून से जैसे (लोकपाल, आर. टी. आई., महिला सुरक्षा) ईत्यादि से सब मामले ठीक हो जायेगें लेकिन जब कोई कानून नही था तब लोग ईमानदारी से काम नहीं करते थे? तब सबसे ज्यादा ईमानदारी एवं जवाबदेही समाज के प्रति थी।

लेकिन अब शिक्षा ही भ्रष्टाचार से शुरु होती है और श्मशान तक में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी का परिणाम रहा है पैसे के बल पर लोग देश का सौदा कर लेते हैं। आंतंकवादियों का सुराग देते है और देश के साथ गद्दारी करते है। हमारे नीति निर्धारकों एवं महत्वपूर्ण पदो पर बैठे लोगों के समय से पहले कुछ करने की जरुरत हैं। नही तो आने वाली पिढी उन्हें माफ नही करेगी, और बाद में पश्चाताप ही होगा। जैसे कि दिल्ली में हमारी सांसद हैं, उच्चतम न्यायालय, प्रशासनिक अधिकारियों का मुख्यालय है, यानि जो हमारे देश के लिये प्लानिंग एवं नीतियां बनाते है लागू करते हैं, और उसकी समीक्षा करते है सभी का मुख्यालय दिल्ली ही हैं, और उसी दिल्ली की हालात गैस चैम्बर की तरह हो गयी है तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या यह कोई दैवीय आपदा थी? क्या यह एक समान जनता द्वारा किये गये कार्य का परिणाम रहा है? इस गैस चैम्बर बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? यानी चिराग तले अधेरा! देश एवं राष्ट्र के लिये उचित व्यवस्था की जिम्मेदारी किन लोगो की है? जिम्मेदार लोग यदि अपनी जिम्मेदारी पूरी नही करते है तो इसकी देख–भाल का काम किसका होता है? न्यायालय कब जनहित में स्वं ज्ञान लेकर, जनहित में फैसला करता है?

10

यानि दिल्ली जो कि मुख्यालय है और सभी विराजते है उसकी यह हालत कर दी गई तो आप सोच सकते है देश के और हिस्सों और जनता के साथ क्या किया गया होगा। भला हो लुटियन और अंग्रजो का जो कि कुछ जगह को उन्होनें इस तरीके से बसाया नहीं, नहीं तो दिल्ली गैस चैम्बर ना होकर बारुद का गोला बन जाती लेकिन जब दिल्ली में इतनी अवैध कालोनी बन रही थी तो हमारे माननीय लोग कहा थे? क्यो नही दिल्ली को ठीक तरह से प्लानीग करके बसाने का काम का किया गया। यानि इसमें सभी हमाम में नंगे रहे और दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया गया। हमारे देश के जितने भी विकास प्रधिकरण हैं वह विनाश प्राधिकरण बन गये है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहां पर है। एक कहावत है '' **जिसकी पूंछ उठाया मादा ही नजर आया''।**

देश एवं जनता को लूटा जा रहा है और कुछ विशेष लोगों को मालामाल किया जा रहा है। सरकारी स्कूल के कर्मचारियों का वेतन 30 से 50 हजार रुपये हैं, वही प्राइवेट स्कूल में 5 से 20 हजार में काम अधिक काबलीयत अधिक वेतन कम! एक मजदूर को 300 से 400 प्रति दिन देने पर हम शाम को सारा हिसाब जानना चाहते है किन्तु प्रति दिन 3000 से 4000 लेने वाले लोग पूरे वर्ष क्या करते है नही जान पाते हैं। इस बारे में मैने कुछ से बात की तो वह कहने लगे एक मजदूर की तुलना एक नीति बनाने वाले प्लान करने वालो से कैसे कर सकते है।

आश्चर्य की बात है कि लोग जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, सुधारना नहीं

ब्रह्मांड के नौ ग्रहों में से गुरु सबसे भारी ग्रह

गुरुवार धर्म का दिन होता है। ब्रह्मांड में स्थित नौ ग्रहों में से गुरु वजन में सबसे भारी ग्रह है। यही कारण है कि इस दिन हर वो काम जिससे कि शरीर या घर में हल्कापन आता हो। ऐसे कामों को करने से मना किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से गुरु ग्रह हल्का होता है। यानी कि गुरु के प्रभाव में आने वाले कारक तत्वों का प्रभाव हल्का हो जाता है। गुरु धर्म व शिक्षा का कारक ग्रह है। गुरु ग्रह को कमजोर करने से शिक्षा में असफलता मिलती है। साथ ही धार्मिक कार्यों में झुकाव कम होता चला जाता है।

कटिंग और शेविंग भी

शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है। जीव मतलब जीवन। जीवन मतलब आयु। गुरुवार को नेल कटिंग और शेविंग करना गुरु ग्रह को कमजा. `र करता है। जिससे जीवन शक्ति दुष्प्रभावित होती है। उम्र में से दिन कम करती है।

बृहस्पति को किस तरह कमजोर करते है घर में किए गए ये कार्य

जिस प्रकार से बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है। उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही अधिक गहरा होता है। वास्तु अनुसार का एक साथ पूजन जीवन में खुशियों की अपार वृद्धि कराने वाला होता है। इस दिन लक्ष्मी और नारायण की एक साथ पूजन करने से पति– पत्नी के बीच कभी दूरिया नहीं आती है। साथ ही धन की वृद्धि होती है।

रूक सकता है प्रमोशन भी

जन्मकुंडली में गुरु ग्रह के प्रबल होने से उन्नति के रास्ते आसानी से खुलते हैं। यदि गुरु ग्रह को कमजोर करने वाले कार्य किए जाए तो प्रमोशन होने में रुकावटें आती है।

गुरु ग्रह का कमजोर होना किस तरह करता है धन की कमी

गुरुवार को किए गए ये कार्य रो. कते हैं पति, संतान की उन्नति

शास्त्रों में गुरुवार को महिलाओं को बाल धोने से इसलिए मनाही की गई है। क्योंकि महिलाओं की जन्मकुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है। साथ ही बृहस्पति ही संतान का कारक होता है। इस प्रकार अकेला बृहस्पति ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। बृहस्पतिवार को सिर धोना बृहस्पति को कमजोर बनाता है जिससे कि बृहस्पति के शुभ प्रभाव में कमी होती है। इसी कारण से इस दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए जिसका असर संतान और पति के जीवन पर पड़ता है। उनकी उन्नति बाधित होती है।

गुरुवार को नहीं करना चाहिए नेल

घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी कि बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना, कबाड़ घर से बाहर निकालना, घर को धोना या पोछा लगाना। घर के ईशान कोण को कमजोर करता है। उससे घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है।

ये दिन है लक्ष्मी प्राप्ति का इसलिए देवी लक्ष्मी भी होती है प्रभावित

गुरुवार लक्ष्मी नारायण का दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी और नारायण

किसी भी जन्मकुंडली में दूसरा और ग्यारहवां भाव धन के स्थान होते हैं। गुरु ग्रह इन दोनों ही स्थानों का कारक ग्रह होता है। गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर किए जाने वाले काम करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। धन लाभ की जो भी स्थितियां बन रही हों। उन सभी में रुकावट आने लगती है। सिर धोना, भारी कपड़े धोना, बाल कटवाना, शेविंग करवाना, शरीर के बालों को साफ करना, फेशियल करना, नाखून काटना, घर से मकड़ी के जाले साफ करना, घर के उन कोनों की सफाई करना जिन कोनों की रोज सफाई नहीं की जा सकती हो। ये सभी काम गुरुवार को करना धन हानि का संकेत हैं। तरक्की को कम करने का संकेत हैं।

गर्मियों में बेल फल के फायदे

बेल के फल गर्मी में राहत देने वाले कुछ मुख्य फलों में आता है और गर्मी में चूँकि हमारे शरीर में डी हाइड्रेशन का खतरा सर्दी के मुकाबले कंही अधिक होता है इसलिए यह जरुरी भी होता है कि बदलते मौसम के अनुसार हम अपनी खानपान की आदतों में भी कुछ जरुरी बदलाव कर लें और गर्मी में काम देने वाले कुछ पेय पदार्थो के बारे में आप यंहा क्लिक कर अधिक जानकारी ले सकते है और हम आपके साथ बेल फल के कुछ फायदे से जुड़े तथ्य आपके साथ साझा कर रहे है ताकि आप पर गर्मी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़े तो चलिए इसके गुणों के बारे में कुछ बाद करते है।

बील के फल के लाभ : गर्मियों में हमारे शरीर को पानी की सख्त जरुरत होती है क्योंकि शरीर से काफी मात्रा में पानी और तरल हमारे शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकलता है और यह हमारे शरीर से विषैले पदार्थो को बाहर निक. ालने का ही एक जरिया है इसलिए गर्मी का एक फायदा भी है कि हमे चूँकि तरल पदार्थो की जरुरत होती है इसलिए हम फलों के जूस और अन्य तरल माध्यमो से अपने शरीर को सभी तरह के पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते है इसमें से बील के फल (बेल फल) भी एक गुणकारी माध्यम है और इसके लाभ कुछ इस तरह है।

- गर्मी में हम लू के प्रभाव में आ जाते है तो बील का शरबत बनाकर पीने से बहुत लाभ (इमदमपिजे) होता है और इस से हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में आसानी से होती है।
- पीलिया रोग होने पर आयुर्वेद के अनुसार बील की कोपलों का पचास ग्राम रस और थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से बड़ा लाभ होता है और इसे सुबह शाम दोनों समय पीना चाहिए।
- मुंह के छाले होने की दशा में भी अगर आप बील को पानी में उबालकर उस से कुल्ला करते है तो मुंह के छालों में लाभ होता है।
- मोच या अंदरूनी चोट होने पर बेल पत्रों को पीस कर गुड में पकाएं और पुल्टिस बनाकर प्रभावित अंग पर लगाने से तीन चार दिन में बदलते रहे इस से अंदरूनी चोट में बड़ी राहत मिलती है।
- अगर पुराना आन्वरोग है तो आधे कच्चे बील के फल (बेल फल) का प्रतिदिन सेवन करें जल्दी ही आपको इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी।
- यह फल सुपाच्य होता है और उर्जा से भरपूर भी होता है इसलिए इसका सेवन डायरिया में भी लाभ लाभप्रद होता है और आयुर्वेद के अनुसार पके हुए फल के सेवन से वात और काफ से मुक्ति मिलती है।

तो यह है (बील के फल) के कुछ लाभदायक अनुप्रयोग जिनसे आप अपनी गर्मी को सुलभ बना सकते है और आपको ये पोस्ट कैसी लगी इस बारे में हमे नीचे कमेन्ट के माध्यम से बताये और हमारी अपडेट ापिदकप में पाने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज सपाम कर सकते है।

गर्म पानी स्वास्थ्य के लिए एक गुणकारी दवा

- पानी को अगर थोड़ा गर्म करके लें तो कब्ज को दूर करने में भी मदद मिलती है।
- मोटापे से पाना है छुटकारा तो आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए।
- गुनगुने पानी को हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए भी जरूरी माना जाता है। पानी स्वास्थ्य के लिए लाभाकारी होता है और गुनगुना पानी स्वास्थ्य के लिए एक गुणकारी दवा के रूप में काम करता है। स्वास्थ्य से लेकर सौंदर्य तक को निखारने में गर्म पानी लाभदायक है। गर्म पानी औषधीय गुणों की खान है। पानी को अगर थोड़ा गर्म करके लें तो कब्ज को दूर करने में भी मदद मिलती है। यदि आपको मोटापे से पाना है छुटकारा तो आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। आइए जानें गुणों की खान गर्म पानी के बारे में।

गर्म पानी के फायेद

- सामान्य पानी जहां स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक है वहीं गर्म पानी सेहत के लिए एक गुणकारी दवा का काम करता है।
- गर्म पानी से स्नान जहां थकान मिटाने का सबसे अच्छा साधन है, वहीं त्वचा को निखारने और त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में भी गर्म पानी से स्नान करना अच्छा है।
- जैसा की सभी जानते हैं कि गर्म पानी सौंदर्य और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से अचूक दवा है और यदि इसी में गुलाब जल डाल लिया जाए तो इसे धीरे–धीरे शरीर पर डालकर बहुत आराम मिलता है और शरीर में होने वाला दर्द भी चुटकियों में गायब हो जाता है।

गायत्री मंत्र की विलक्षण शक्तियाँ

गायत्री–तत्त्वदर्शन

किसी वस्तु के संबंध में विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कोई मूर्ति हमारे मनरूक्षेत्र में हो। बिना कोई प्रतिमूर्ति बनाये मन के लिए किसी भी विषय में सोचना असंभव है। मन की प्रक्रिया ही यही है कि पहले वह किसी वस्तु का आकार निर्धारित कर लेता है, तब उसके बारे में कल्पना शक्ति काम करती है। समुद्र भले ही किसी ने न देखा हो, पर जब समुद्र के बारे में कुछ सोच–विचार किया जाएगा, तब एक बड़े जलाशय की प्रतिमूर्ति मनरू क्षेत्र में अवश्य रहेगी। भाषा–विज्ञान का यही आधार है। प्रत्येक शब्द के पीछे आकृति रहती है। ''कुत्ता'' शब्द जानना तभी सार्थक है, जब 'कुत्ता' शब्द उच्चारण करते ही एक प्राणी विशेष की आकृति सामने आ जाए। न जानी हुई विदेशी भाषा को हमारे सामने कोई बोले तो उसके शब्द कान में पड़ते हैं, पर वे शब्द चिड़ियों के चहचहाने की तरह निरर्थक जान पड़ते हैं। कोई भाव मन में उदय नहीं होता है। कारण यह है कि शब्द के पीछे रहने वाली आकृति का हमें पता नहीं होता। जब तक आकृति सामने न आए, तब तक मन के लिए असम्भव है कि उस संबंध में कोई सोच विचार करे।

ईश्वर या ईश्वरीय शक्तियों के बारे में भी यही बात है। चाहे उन्हें सूक्ष्म माना जाए या स्थूल, निराकार माना जाए या साकार, इन दार्शनिक और वैज्ञानिक झमेलों में पड़ने से मन को कोई प्रयोजन नहीं। उससे यदि इस दिशा मों कोई सोच–विचार का काम लेना है, तो कोई आकृति बनाकर उसके सामने उपस्थित करनी पड़ेगी। अन्यथा वह ईश्वर या उसकी शक्ति के बारे में कुछ भी न सोच सकेगा। जो लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं, वे भी 'निराकार' का कोई न कोई आकार बनाते हैं। आकाश मानते हैं, वे भी 'निराकार' का कोई न कोई आकार बनाते हैं। आकाश जैसा निराकार, प्रकाश जैसे तेजोमय, अग्नि जैसा व्यापक, परमाणुओं जैसा अदृश्य। आखिर कोई न कोई आकार उस निराकार का भी स्थापित करनी ही होगा। जब तक आकार की स्थापना न होगी, मन, बुद्धि और चित्त से उसका कुछ भी संबंध स्थापित न हो सकेगा।

इस महासत्य को ध्यान में रखते हुए निराकार, अचिन्त्य बुद्धि से, अलभ्य, वाणी से अतीत, परमात्मा का मन में संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय आचार्यों ने ईश्वर की आकृतियाँ स्थापित की हैं। इष्टदेवों के ध्यान की सुन्दर, दिव्य प्रतिमाएँ गढ़ी हैं। उनके साथ दिव्य आयुध, दिव्य वाहन, दिव्य गुण, स्वभाव एवं शक्तियों का संबंध किया है। ऐसी आकृतियों का भक्तिपूर्वक ध्यान करने से साधक उनके साथ एकीभूत होता है, दूध और पानी की तरह साध्य और साधक का मिलन होता है। भृंगी, झींगुर को पकड़ कर ले जाती है और उसके सामने भिनभिनाती है, झींगुर उस गुंजन को सुनता है और उसमें इतना तन्मय हो जाती है कि उसकी आकृति बदल जाती है और झींगुक भृंगी बन जाता है। दिव्य कर्म स्वभाव वाली देवाकृति का ध्यान करते रहने से साधक में भी उन्हीं दिव्य शक्तियों का आविर्भाव होता है। जैसे रेडियों तन्त्र को माध्यम बनाकर सूक्ष्म आकाश में उड़ती फिरने वाली विविध ध्वनियों को सुना जा सकता है, उसी प्रकार ध्यान में देवमूर्ति की कल्पना करना आध्यात्मिक रेडियो स्थापित करना है, जिनके माध्यम से सूक्ष्म जगत् में विचरण करने वाली विविध ईश्वर शक्तियों को साधक पकड़ सकता है। इसी सिद्धान्त के अनुसार इष्टदेवों की अनेक आकृतियाँ, साधकों को ध्यान करने के लिए बताई गई हैं। इन देव आकृतियों का स्वतंत्र विज्ञान है। अमुक देवता की अमुक प्रकार की आकृति क्यों रखी गई है ? इसका एक क्रमबद्ध रहस्य है। इसकी चर्चा तो एक स्वतंत्र पुस्तक में करेंगे, जहाँ तो इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि अमुक प्रयोजन के लिए अमुक ईश्वरीय शक्तियों की अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो आकृति योगी लोगों को ठीक सिद्घ हुई है, वहीं आकृति उस देवता की घोषित कर दी गई है।

जहाँ अन्य प्रयोजनों के लिए अन्य देवाकृतियाँ हैं वहाँ इस विश्व–ब्रह्माण्ड को ईश्वरमय देखने के लिए 'विराट्रूप' परमेश्वर की प्रतिमूर्ति विनिर्मित की गई है। मनुष्य को सारी आत्मोन्नति और सुख–शान्ति इस बात पर निर्भर है कि उसका आन्तरिक और वाह्य जीवन चरित्र एवं निष्पाप हो, समस्त प्रकार के क्लेश, दुरूख, अभाव एव विक्षोभों के कारण मनुष्य के शारीरिक और मानसिक पाप हैं। यदि वह इन पापों से बचता जाता है तो फिर और कोई कारण ऐसा नहीं जो उसकी ईश्वरीय प्रदत्त अनन्त सुख–शान्ति में बाधा डाल सके। पापों से बचने के लिए ईश्वरीय भय की आवश्यकता होती है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है इस बात को जानते तो सब हैं, पर अनुभव बहुत कम लोग करते हैं। जो मनुष्य यह अनुभव करेगा कि ईश्वर मेरे चारा. ओर छाया है और वह पाप का दण्ड अवश्य देता है– जिसके यह भावना अनुभव में आने लगेगी, वह पाप न कर सकेगा। जिस चोर के चारों ओर सहस्र पुलिस घेरा डाले खड़ी हो और हर तरफ से उस पर आँखें गड़ी हुई हों, वह ऐसी दशा में भला किस प्रकार चोरी करने का साहस करेगा ?

परमात्मा की आकृति चराचरमय ब्रह्माण्ड में देखना ऐसी साधना है, जिसके द्वारा परमात्मा के अनुभव करने की चेतना जागृत हो जाती है। यही विश्व मानव की पूजा है, इसे ही विराट् दर्शन कहते हैं। रामायण में भगवान् राम ने अपने जन्म–काल में कौशल्या को विराट् रूप दिखालाया था उत्तराखण्ड में काकभुशुण्ड जी के संबंध में वर्णन है कि वे भगवान् के मुख में चले गये तो वहाँ सारे ब्रह्माण को देखा। भगवान कृष्ण ने भी इसी प्रकार कई बार विराट् रूप दिखाये। मिट्टी खाने के अपराध से मुँह खुलवाते समय यशोदा को विराट रूप दिखाया, महाभारत के उद्योग पर्व में दुर्योधन ने भी ऐसा ही रूप देखा। अर्जुन के भगवान् ने युद्ध के समय विराट् रूप दिखाया, जिसका गीता में 11 वें अध्याय में सविस्तार से वर्णन किया गया है।

मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो खुद ईश्वर उसके पास आ जाते हैं।

Education Solution®

Aspiring young minds...

Save your year. Enroll for classes Xth & XIIth today in "NIOS" board. Value equivalent as CBSE board

Abacus Classes also Available

Syllabus left ? Confused ? Don't be disappointed. Complete your syllabus in 3 months. Other course completion packages are also available.

ACADEMIC COACHING

Ist - VIIIth
MATHS
SCIENCE, ENGLISH
HINDI, S.ST.

IXst - Xth
MATHS
SCIENCE, ENGLISH
HINDI, S.ST.

XIth - XIIth
MATHS
PHYSICS, CHEMISTRY
BIOLOGY
ENGLISH, ACCOUNT
ECONOMICS
B.St, C++, I.P.

B.Com, B.A., B.Sc
ACCOUNT, ECONOMICS
MATHS
INCOME TAX
CORP. ACCOUNTING
BUSINESS LAW
COST ACCOUNTING

PROFESSIONAL COACHING

B.Tech, MBBS
IIT-JEE, BITSAT
CPMT, UPTECH

Competitive Exam
POLYTECHNIC, BANK-
ENTRANCE, UPSE, SSC
SPOKEN ENGLISH, ETC.

CA,CPT,CS,ICWA
CA, CPT, IPCC
CS (Foundation)
CS (Executive)
CMA (Foundation)
CMA (Inter Mediate)

BBA, MBA
INCOME TAX,
COST ACCOUNTING
FINANCIAL MANAGEMENT
CORPORATE ACCOUNTING
FINANCIAL ACCOUNTING
BUSINESS LAW

Head Office : Plot No. 420, Sector-5, Vaishali, Gzb., Behind Shopprix Mall
B.O. : House No. 634, Niti Khand-1, Indirapuram, Gzb., Near Swarn Jayanti Park
B.O.: C-1401, Arunima Palace, Sector-4, Vasundhara, Gzb., Behind Amity School

M.: 9999907099, 9711787429, 9911932244

educationsolutionvep@gmail.com www.educationsolution.co
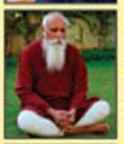
RNI NO.UPHIN/2011/39809